नागरिक सुरक्षा योजना

2026

बाड़मेर

चिन्मयी गोपाल **I.A.S**
जिला कलक्टर एवं पदेन नियंत्रक
नागरिक सुरक्षा, बाड़मेर (राज.)

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
01	जिला नागरिक सुरक्षा योजना	02
	भाग – I	
02	नागरिक सुरक्षा परिचय व संगठन	03
	भाग – II	
03	बाड़मेर जिले की रुपरेखा व जिला प्रशासन	07
	भाग – III	
04	नागरिक सुरक्षा सेवायें, उनकी अधिकृत नफरी व सेवा प्रभारी अधिकारी	24
05	मुख्यालय (Headquarter Service)	25
06	संचार सेवा (Communication Service)	28
07	वार्डन सेवा (Warden Service)	31
08	अग्निशमन सेवा (Fire Service)	33
09	प्रशिक्षण सेवा (Training Service)	34
10	हताहत सेवा (Casualty Service)	35
11	बचाव सेवा (Rescue Service)	36
12	निस्तारण सेवा (Salvage Service)	36
13	पूर्ति सेवा (Supply Service)	37
14	डिपो व परिवहन सेवा (Depot & Transport Service)	38
15	शव निपटान सेवा (Corpse Disposal Service)	39
16	कल्याण सेवा (Welfare Service)	40
	भाग – IV	
17	निष्क्रमण (Evacuation)	43
18	रिपेयर एवं डेमोलेशन	45
19	आवश्यक सेवायें व पशुओं की देखभाल	47
20	हवाई हमले की स्थिति में प्रकाश प्रबन्धन	48
	भाग – V	
21	रासायनिक युद्ध	50
22	जैविक युद्ध	52
23	आणविक युद्ध	54
	भाग – VI	
24	जिले में हवाई हमले/आपदा की दृष्टि से खतरे वाले महत्वपूर्ण क्षेत्र/महत्वपूर्ण स्थान (VAs/VPs) की सूची	64
25	जिले में उपलब्ध नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की सूची	65

26	जिले में उपलब्ध खोज व बचाव उपकरणों एव अन्य संसाधनों की सूची	70

जिला नागरिक सुरक्षा योजना

यह विचित्र किन्तु वास्तविक है कि विश्व में सामाजिक, वैज्ञानिक एवं आर्थिक उन्नति के साथ–साथ बढ़ती प्राकृतिक एवं मानवीकृत आपदाओं के कारण जन–धन हानि में अपार वृद्धि हुई है। बाड़मेर जिला प्राकृतिक एवं मानवीकृत आपदाओं की सभावनाओं से अछूता नहीं है। आपदाओं से निपटने में नागरिक सुरक्षा के लिए किये जाने वाले उपायों एवं कार्य योजना के अभाव में कई बार प्रशासन भी कर्तव्य विमूढ़, असहाय एवं दिशा भ्रमित सा हो जाता है। अतः आपदा से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए मुख्यतः मानव जनित आपदा जैसे– युद्व के समय होने वाला हवाई हमला, बम विस्फोट, परमाणु, रसायन व जैविक युद्व, ओद्योगिक दुर्घटनायें इत्यादि जिससे होने वाली जन–धन की हानि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए स्थानीय नागरिकों द्वारा एवं प्रशासन के सहायोग से अपने ही नागरिकों की होने वाली क्षति को कम से कम करने, उनका मनोबल बनाए रखने, आर्थिक उत्पादन जारी रखने इत्यादि एवं समस्त संभावित आपदाओं का आंकलन एवं सूचनाओं को संकलित कर एक संगठित नागरिक सुरक्षा योजना के रूप में कार्य योजना तैयार की गई है। बाड़मेर जिले की जनसंख्या की गणना 2011 के अनुसार 26.04 लाख है।

अतः तैयार की गई योजना में जनता को पूर्ण जानकारी देने के लिए अथवा घटनाओं के समय जनता के ही सहयोग से एक जुट कार्य करने हेतु एक प्रशिक्षित स्वयंसेवी संगठन जो कि प्राकृतिक एवं मानवीकृत आपदाओं के समय कार्य के संचालन एवं सम्पादन में पूर्ण सहयोग करेगा, का निर्माण किया गया है। योजना तैयार करते समय व्यवहारिकता एवं क्रियात्मकता का ध्यान रखा गया है तथा प्रयास किया गया है कि सभी स्थानीय समस्याओं को इस योजना में समायोजित कर लिया जावे। फिर भी समय–समय पर आने वाली नयी समस्याओं से निपटने के उपायों को इस योजना मे सम्माहित कर लिया जावेगा।

भारत व राज्य सरकार द्वारा बाड़मेर शहर का नगरीय क्षेत्र नागरिक सुरक्षा कैटेगरी II एवं शेष जिला नागरिक सुरक्षा कैटेगरी III घोषित है।

दिनांक : 9 जून, 2025

(टीना डाबी)

भाग – I

1.1 नागरिक सुरक्षा : परिचय

द्वितीय विश्व युद्ध (1939–45) के दौरान देश के मुख्य बन्दरगाह (मुम्बई व कोलकता) में हवाई हमले तथा अक्टूबर 1962 में भारत–चीन युद्ध के दौरान देश के शहरों पर हुए हवाई हमलों में आगजनी व भवन क्षतिग्रस्त होने के कारण हुए जान–माल का भारी नुकसान हुआ। इसे को देखते हुए भारत सरकार द्वारा नवम्बर 1962 में नागरिक सुरक्षा विभाग के गठन किये जाने हेतु नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसकी पालना में राजस्थान सरकार द्वारा 13 नवम्बर 1962 को अधिसूचना जारी कर राज्य के सीमावर्ती जिलों में बाहरी आक्रमण की स्थिति में स्थानीय नागरिकों की जान व माल की सुरक्षा हेतु स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित किये जाने हेतु राज्य में 12 नागरिक सुरक्षा नगरों की अधिसूचना जारी कर, वहां नागरिक सुरक्षा इकाईयां स्थापित की गयी।

नागरिक सुरक्षा संगठन द्वारा 1965 एवं 1971 के भारत–पाक युद्धों के दौरान सक्रिय भागीदारी निभाते हुए, जान व माल के नुकसान को कम करने में सराहनीय सहयोग दिया गया। 2001 में गुजरात भूकम्प, 2004 में सुनामी व प्राकृतिक/मानवीकृत आपदाओं की घटनाओं में वृद्धि को देखते हुए, भारत सरकार द्वारा 2005 में आपदा प्रबन्धन अधिनियम लाया गया। साथ ही नागरिक सुरक्षा विभाग में आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षित अधिकारियों/कार्मिकों/स्वयंसेवकों का हवाई हमले के साथ ही आपदा/विपदाओं के दौरान सदुपयोग किये जाने हेतु नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 में आंशिक बदलाव करते हुए, नागरिक सुरक्षा अधिनियम (संशोधन) 2009 जारी किया गया, जिससे इस विभाग की हवाई हमले के साथ–साथ आपदा प्रबन्धन में भी अहम भूमिका हो गयी है।

1.2 नागरिक सुरक्षा का उद्धेश्य

देश/राष्ट्र पर आने वाली संकटकालीन स्थिति में हो रहे जान–माल की क्षति को कम करने, खोज बचाव कार्य प्रभावितों के मनोबल को बनाये रखने एवं आर्थिक उत्पादन जारी रखने के लिए सरकार, स्थानीय जनता/संस्था/स्वयंसेवी संगठनों द्वारा किया गया स्वैच्छिक प्रयास ही नागरिक सुरक्षा है। अर्थात नागरिक सुरक्षा का उद्धेश्य ''**नागरिकों की सुरक्षा नागरिकों के द्वारा**'' करना है। इस उद्वेश्य के अन्तर्गत राष्ट्रीय कार्य में सहयोग के लिए इच्छुक महिला व पुरूषों को नागरिक सुरक्षा का प्रशिक्षण देकर नियंत्रक (जिला कलक्टर) के द्वारा नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के तहत नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक मनोनीत किया जाता है। नागरिक सुरक्षा विभाग आपदा/विपदा एवं दुश्मन देश द्वारा आक्रमण किये जाने की स्थिति में स्थानीय लोगों को उनके

माध्यम से ही (नागरिक सुरक्षा के स्थानीय स्वयंसेवक) किये जाने वाले सुरक्षात्मक उपायों की जानकारी देने का कार्य करता है।

1.3 राज्य में नागरिक सुरक्षा विभाग

आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के लागू होने के उपरान्त, नागरिक सुरक्षा विभाग के आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षित अधिकारियों/कार्मिकों/स्वयंसेवकों के आपदा प्रबन्धन में उपयोग लिए जाने को देखते हुए, भारत सरकार द्वारा नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 में आंशिक संशोधन कर ''नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2009 संशोधन'' किया गया है। इसके तहत नागरिक सुरक्षा विभाग को उसकी प्राथमिक भूमिका ''बाहरी आक्रमण/हवाई हमला'' के साथ–साथ द्वितीय भूमिका आपदा प्रबन्धन में दी गयी है। इससे नागरिक सुरक्षा विभाग की आपदा प्रबन्धन में अहम भूमिका को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा दिनांक 27 जुलाई 2015 को जारी अधिसूचना के तहत नागरिक सुरक्षा विभाग को आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के अधीन कर दिया गया। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा दिनांक 12 जुलाई 2017 को अधिसूचना जारी कर राज्य के समस्त जिलों को ''नागरिक सुरक्षा जिले'' घोषित कर दिया गया।

1.4 नियन्त्रण :

(क) **निदेशालय, नागरिक सुरक्षा, राजस्थान, जयपुर** – नागरिक सुरक्षा विभाग का सीधा प्रशासनिक नियन्त्रण आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान के अधीन है। वर्तमान में आयुक्त (विभागाध्यक्ष) नागरिक सुरक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के पास है। प्रशासनिक व्यवस्था एवं प्रशिक्षण हेतु, नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968, नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम 2011 एवं रिवेम्पिंग ऑफ सिविल डिफेन्स के तहत जारी दिशा निर्देशानुसार, उप निदेशक, सीनियर स्टाफ आफिसर एवं अन्य अधिकारी/कार्मिक स्वीकृत हैं।

(ख) **नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान, जयपुर** –नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान का प्रशासनिक नियंत्रण आयुक्त/निदेशक नागरिक सुरक्षा विभाग के अधीन है। वर्तमान में संयुक्त शासन सचिव आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा, जयपुर के पास निदेशक, नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का अतिरिक्त प्रभार है। प्रशासनिक व्यवस्था एवं प्रशिक्षण हेतु, नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968, नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम 2011 एवं रिवेम्पिंग ऑफ सिविल डिफेन्स के तहत जारी दिशा निर्देशानुसार उप निदेशक, सहायक निदेशक एवं अन्य स्टाफ अधिकृत है।

(ग) **नागरिक सुरक्षा जिला कार्यालय** – जिले में जिला कलक्टर नागरिक सुरक्षा के नियंत्रक हैं। प्रशासनिक व्यवस्था एवं प्रशिक्षण हेतु, नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968, नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम 2011 एवं रिवेम्पिंग ऑफ सिविल डिफेन्स के तहत जारी दिशा निर्देशानुसार,

नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा के सहयोग हेतु जिले में उप नियन्त्रक/सहायक नियन्त्रक एवं अन्य अधीनस्थ स्टाफ स्वीकृत है।

(घ) **नागरिक सुरक्षा अग्निशमन सेवा** – वर्तमान में राज्य के स्वीकृत 12 नागरिक सुरक्षा जिलों में नागरिक सुरक्षा अग्निशमन सेवा का सीधा प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा का है, जिसमें बाड़मेर जिला भी सम्मिलित है।

1.5 नागरिक सुरक्षा विभाग में प्रशासनिक नियंत्रण :–

(क) नागरिक सुरक्षा, विभाग (राज्यस्तरीय संगठन)

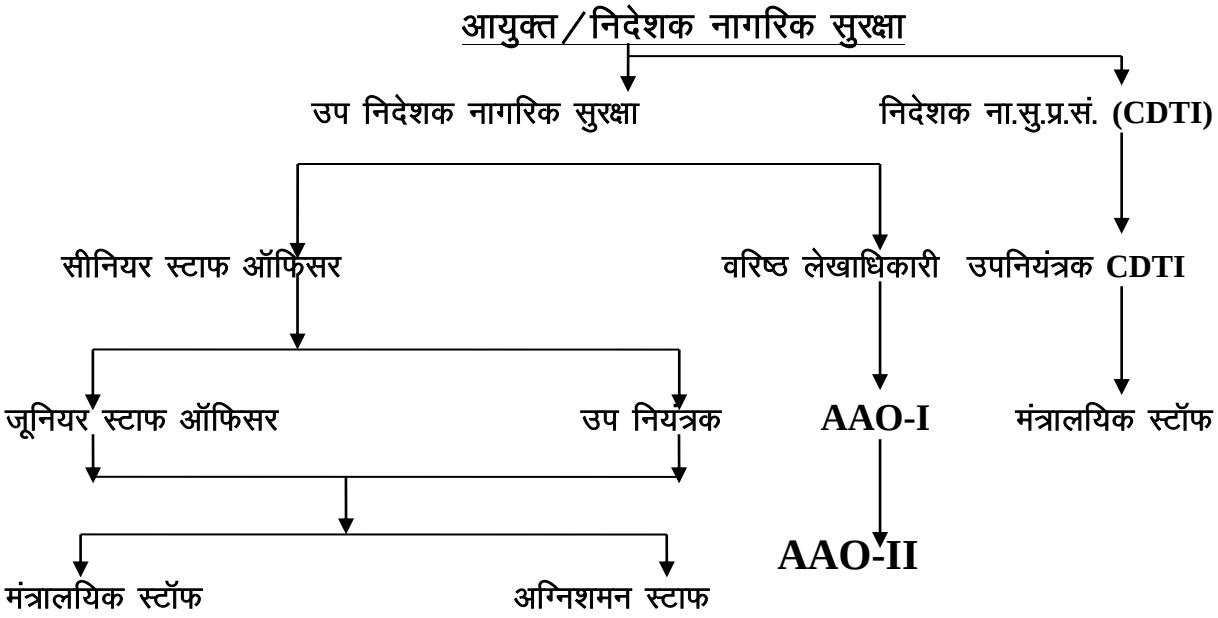

(ख)नागरिक सुरक्षा (जिला स्तर)

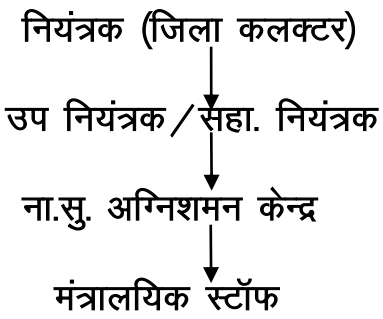

1.6 नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 (संख्या 27)

भारत सरकार द्वारा 24 मई 1968 को नागरिक सुरक्षा अधिनियम (संख्या 27) के तहत देश में दुश्मन देश द्वारा बाहरी आक्रमण के दौरान हवाई हमलों से होने वाले नुकसान एवं स्थानीय लोगों को इसके लिए प्रशिक्षित करने तथा बचाव कार्यों के लिए नागरिक सुरक्षा कोर के गठन किये जाने की स्वीकृति दी गयी। इसमें नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के साथ–साथ नागरिक सुरक्षा नियम 1968 एवं नागरिक सुरक्षा विनियम 1968 भी बनाये गये।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 बनाये जाने के पश्चात, नागरिक सुरक्षा विभाग के आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षित अधिकारियों/कार्मिकों/स्वयंसेवकों के हवाई हमले के साथ–साथ आपदा प्रबन्धन में उपयोग को देखते हुए, वर्ष 2009 में नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 में संशोधन करते हुए ''नागरिक सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम 2009'' जारी किया गया। इसके तहत नागरिक सुरक्षा विभाग को उसके प्राइमरी रोल ''बाहरी आक्रमण के दौरान हवाई हमलों से सुरक्षा'' के साथ ही सैकेण्डरी रोल ''आपदा प्रबन्धन'' भी कर दिया गया।

भाग – II

बाड़मेर जिले की रूपरेखा

2.1 बाड़मेर जिले का नक्सा

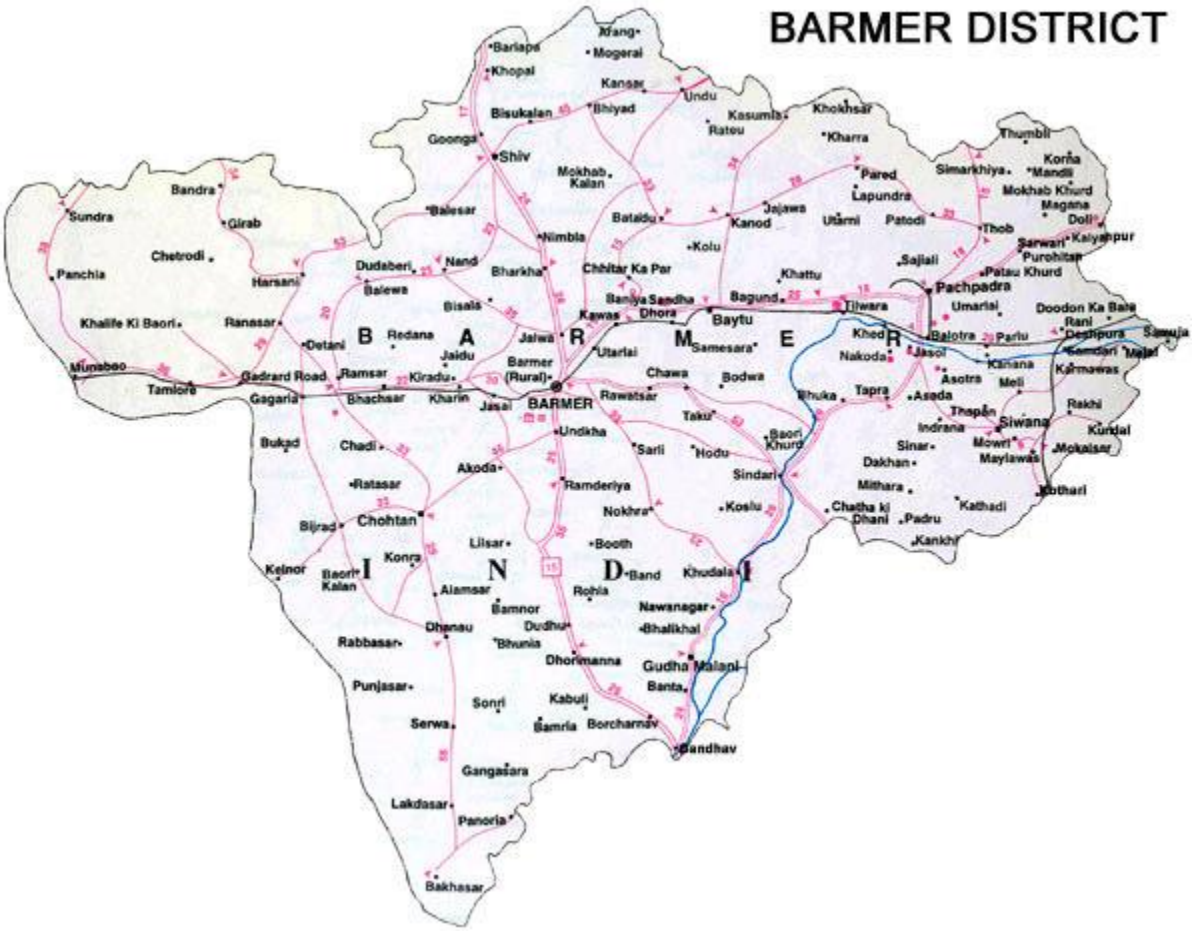

2.2 भौगोलिक स्थिति – राजस्थान के पश्चिम में बाड़मेर जिला मुख्यालय $26^0.32'$ उत्तरी अक्षांश व $72^0.52'$ पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। इसके उत्तर में जैसलमेर, दक्षिण में जालोर, पूर्व में पाली व जोधपुर तथा पश्चिम में पाकिस्तान की सीमायें लगती हैं। बाड़मेर को भारत सरकार द्वारा मल्टी हजार्ड जिला घोषित किया गया है जिससे यहां पर हवाई हमले के

साथ–साथ सूखा, गर्म हवायें, शीत लहरें, औद्योगिक आपदायें, सड़क व रेल दुर्घटनायें, बोरवेल दुर्घटनायें, भूकम्प, अग्नि दुर्घटनायें इत्यादि संभावित खतरे हैं। जिले का कुल क्षेत्रफल 28387 वर्ग कि॰मी॰ है। जिले में सबसे लंबी नदी लूणी नदी है। विभिन्न ऋतुओं में तापमान में बदलाव काफी अधिक है। गर्मियों में तापमान 51 डिग्री सेल्सियर तक और सर्दियों में यह शून्य डिग्री सेल्सियर तक चला जाता है। जिले की जलवायु शुष्क है तथा विभिन्न स्थानों पर सर्दी व गर्मी अत्यधिक होती है। जिला थार मरुस्थल का हिस्सा है। जिले की अधिकांश नदियां बरसाती है। इनमें से लूणी नदी मुख्य है। यह अजमेर जिले के अरावली पर्वतमाला की नाग पहाडियों से प्रारम्भ होकर पाली व जोधपुर जिले में प्रवाहित होती हुई बाड़मेर जिले के ग्राम रामपुरा के पास प्रवेश करती है।

2.3 <u>सामान्य जानकारी</u> :–जिले में उपखण्ड/तहसील/पंचायत समिति/नगर निकाय/ ग्राम पंचायत वार विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. सं.	उपखण्ड का नाम	तहसील का नाम	पंचायत समिति का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	नगर निकाय
1.	**गुडामालानी**	–	**आडेल**	1. AASUON KI DHANI 2 . ADARSH ADEL 3. ADEL 4. ANKHIYAN 5. ARJUN KI DHANI 6. BAND 7. BHAMBHU NAGAR 8. CHOTU 9. DHOLANADA 10. DHOLPALIYA NADA 11. GOLIYA JETMAL 12. KHARDI BERI 13. KHARIYA KHURD 14. MALPURA 15. MANGLE KI BERI 16. MEETHI BERI 17. NIMBALKOT 18. NOKHARA 19. RANASAR KHURD 20. SADECHA	

2.	बालोतरा	पचपदरा	बालोतरा	**1**	**AKARLI BAKSHIRAM**	NAGAR PALIKA BALOTRA
				2	**ASADA**	
				3	**ASOTRA**	
				4	**BHAKHRI KHERA**	
				5	**BHANDIYAWAS**	
				6	**BHIMARLAI**	
				7	**BITHUJA**	
				8	**BUDIWARA**	
				9	**CHANDESARA**	
				10	**DOODHWA MALLINATH**	
				11	**DUDHWA**	
				12	**GOLE STATION**	
				13	**GOPARI**	
				14	**JAGSA**	
				15	**JANIYANA**	
				16	**JASOL**	
				17	**KALOORI**	
				18	**KANANA**	
				19	**KHATTU**	
				20	**KHED**	
				21	**KITNOD**	
				22	**KITPALA**	
				23	**MAJIWALA**	
				24	**MANDAPURA**	
				25	**MEWA NAGAR**	
				26	**MUNGRA**	
				27	**NEWAI**	
				28	**PACHPADRA**	
				29	**PARLOO**	
				30	**RAMSEEN**	
				31	**REWADA MAIYA**	
				32	**SARANA**	
				33	**SINLI JAGEER**	
				34	**SURSINGH KI DHANI**	
				35	**TAPRA**	
				36	**TILWARA**	
				37	**UMARLAI**	
				38	**VARIYA VARECHA**	

3.	बाडमेर	बाडमेर	बाडमेर	**1**	**ADARSH UNDKHA**	NAGAR PARISHAD BARMER
				2	**ATI**	
				3	**BALAU**	
				4	**BALERA**	
				5	**BANKALPURA**	
				6	**BARMER AGORE**	
				7	**BARMER GADAN**	
				8	**BHADRESH**	
				9	**BOLA**	
				10	**CHOOLI**	
				11	**DAROORA**	
				12	**DOONGERON KA TALA**	
				13	**DUDABERI**	
				14	**GARAL**	
				15	**GEHOON**	
				16	**GUDISAR**	
				17	**HATHITALA**	
				18	**JAKHRO KI DHANI**	
				19	**JASAI**	
				20	**JUNAPATRASAR**	
				21	**KAGAU**	
				22	**KERAWA**	
				23	**LANGERA**	
				24	**LOONOO KHURD**	
				25	**MAHABAR**	
				26	**MAROODI**	
				27	**MEETHRA**	
				28	**MOODHON KA TALA**	
				29	**MURTALA GALA**	
				30	**NAND**	
				31	**RAMDERIYA**	
				32	**RANIGAON**	
				33	**SANAWARA**	
				34	**SEJUON KI DHANI**	
				35	**SURA CHARNAN**	
				36	**UNDKHA**	
				37	**VISHALA**	
				38	**VISHALA AGORE**	
4.	बाडमेर	बाडमेर ग्रामीण	बाडमेर ग्रामीण	**1**	**ADARSH CHAWA**	
				2	**ADRASH DHOONDHA**	
				3	**BANDRA**	
				4	**BARMER GRAMIN**	
				5	**BARMER MAGRA**	
				6	**BERIWALA TALA**	
				7	**BHADKHA**	
				8	**BHURTIYA**	
				9	**CHAWA**	
				10	**DABLISARA**	
				11	**DHANNE KA TALA**	
				12	**DUDIYO KI DHANI**	
				13	**GALA BERI**	
				14	**GANGASARA**	
				15	**HAJHANIYON KI DHANI (KERLI)**	
				16	**JALIPA**	
				17	**KAPOORDI**	
				18	**KAU KA KHERA**	
				19	**KAWAS**	
				20	**KHARIYA TALA**	
				21	**KHUDASA**	
				22	**KUDLA**	

				23	LAKHETALI	
				24	MAGNE KI DHANI	
				25	MATASAR	
				26	MOODHON KI DHANI	
				27	MOTIYONIYON KA TALA	
				28	NAUKH	
				29	RAM SAR KA KUA	
				30	RAWATSAR	
				31	ROHILI	
				32	SANJATA	
				33	SARLI	
				34	SARNOO PANJI	
				35	SARNU CHIMANJI	
				36	SHIVKAR	
				37	VIDASAR	
5.	बायतु	बायतु	बायतु	1	AKDARA	
				2	BAITU BHIMJI	
				3	BAITU BHOPJI	
				4	BAITU CHIMANJI	
				5	BAITU PANJI	
				6	BATADU	
				7	BHEEMDA	
				8	BHOJASAR	
				9	BOOTH SARA	
				10	BORWA	
				11	CHHITAR KA PAR	
				12	CHOKHLA	
				13	HEMJI KA TALA	
				14	HUDON KI DHANI	
				15	JANGUON KI DHANI	
				16	JHAK	
				17	JOGASAR	
				18	KHANJI KA TALA	
				19	KHIPSAR	
				20	KHOTON KI DHANI	
				21	KOLU	
				22	KOSARIYA	
				23	LAPLA	
				24	LILALA	
				25	LOONADA	
				26	MADHASAR	
				27	MADPURA BARWALA	
				28	NAGANI DHATERWALO KI DHANI	
				29	NARSALI NADI	
				30	NAYAA SOMESARA	
				31	NIMBANIYON KI DHANI	
				32	NOSAR	
				33	PANAWARA	
				34	REWALI	
				35	SAIYON KA TALA	
				36	SEONIYALA	
				37	SINGORIYA	
				38	VIRENDRA NAGAR	
6.	चौहटन	चौहटन	चौहटन	1	AAKORA	
				2	ANTIYA	
				3	ARBI KI GAFAN	
				4	BACHHRAU	
				5	BAORI KALLAN	
				6	BHOJARIYA	

				7	BIJRAD	
				8	BISARNIYA	
				9	BOOTH RATHORAN	
				10	CHOHTAN	
				11	CHOHTAN AAGOR	
				12	DEDUSAR	
				13	DELUON KA TALA	
				14	DHARASAR	
				15	DHOK	
				16	GHONIYA	
				17	GOLIYAR	
				18	GUMANE KA TALA	
				19	HOODO KA TALA	
				20	ISROL	
				21	JAISAR	
				22	JOONA LAKHWARA	
				23	KAPRAU	
				24	KELNORE	
				25	KERNADA	
				26	KHARAWALA	
				27	KHEMPURA	
				28	KONRA VILAYATSHAH	
				29	LEELSAR	
				30	MATE KA TALA	
				31	MITHRAU	
				32	MUKNE KA TALA	
				33	NAWATALA JETMAL	
				34	NEHARO KI NADI	
				35	NETRAD	
				36	PANONIYO KA TALA	
				37	PANWARIYA TALA	
				38	PARARIYA	
				39	POKRASAR	
				40	POSHAL	
				41	PURONIYON KA TALA	
				42	RAMJAN KI GAFAN	
				43	RATASAR	
				44	SAIYON KA TALA	
				45	SANAU	
				46	SANWLOR	
				47	SOBHALA JETMAL	
				48	SODIYAR	
				49	TARATARAMATH	
				50	UPARLA	
7.		धनाउ	धनाउ	1	ALAMSAR	
				2	AMI MOHMMAD SHAHKI BASTI	
				3	BAMNOR AMEERSHAH	
				4	BANDA BERA	
				5	BHOONIYA	
				6	BINJASAR	
				7	BISASAR	
				8	BURAN KA TALA	
				9	DEENGARH	
				10	DHANAU	
				11	EKLIYA DHORA	
				12	GOHAR KA TALA	
				13	ITADA	
				14	ITADIYA	
				15	JALEELA	
				16	JANIYON KI BASTI	
				17	KITNORIYA	

				18	**KONRA**	
				19	**KRISHAN KA TALA**	
				20	**MEETHE KA TALA**	
				21	**NAWATALA RATHORAN**	
				22	**PHAGLOO KA TALA**	
				23	**POONJASAR**	
				24	**RABASAR**	
				25	**SANWA**	
				26	**SARNON KI NARI**	
				27	**SAROOPE KA TALA**	
				28	**SAYED MOZALI KA TALA**	
				29	**SHRIRAMWALA**	
				30	**TALSAR**	
8.	धौरीमन्ना	धौरीमन्ना	धौरीमन्ना	**1**	**ALAMSAR KHURD**	
				2	**ANDANIYON KI DHANI**	
				3	**ARDARSH LOOKHOO**	
				4	**ARNIYALI**	
				5	**BHAGBHARE KI BERI**	
				6	**BHALIKHAL**	
				7	**BHALISAR**	
				8	**BHILON KI DHANI KALAN**	
				9	**BHIMTHAL**	
				10	**BOOL**	
				11	**BOOTH JETMAL**	
				12	**BOR CHARNAN**	
				13	**CHAINPURA**	
				14	**DABOI**	
				15	**DHORIMANNA**	
				16	**DOODHU**	
				17	**DOODIYA KALAN**	
				18	**GODARON KI BERI**	
				19	**JAMBHAJI KA MANDIR**	
				20	**JOONAKHERA**	
				21	**KATARLA KHILERIYAN**	
				22	**KHARAD**	
				23	**KHARI**	
				24	**KHUME KI BERI**	
				25	**KOJA**	
				26	**KOLIYANA**	
				27	**KOSHLE KI DHANI**	
				28	**KOTHALA**	
				29	**KUMBHARON KI BERI**	
				30	**LOHARWA**	
				31	**LOLO KI BERI**	
				32	**LOOKHU**	
				33	**MAIYON KA TALA**	
				34	**MANGTA**	
				35	**MEETHRA KHURD**	
				36	**MEGHWALON KA TALA**	
				37	**MEHLU**	
				38	**MUSALMANON KI DHANI**	
				39	**NEHDI NADI**	
				40	**RANASAR KALLAN**	
				41	**ROHILA**	
				42	**SOBHALA JETMAL**	
				43	**SUDABERI**	
				44	**UDASAR**	

9.			फागलियॉ	**1**	**ARTI**	
				2	**BAKHASAR**	
				3	**BANDHA**	
				4	**BAWARWALA**	
				5	**BHALGAON**	
				6	**BHANWARIYA**	
				7	**BOLI**	
				8	**EKAL**	
				9	**FAGLIYA**	
				10	**GANGASARA**	
				11	**GIRA**	
				12	**GODA**	
				13	**HATHLA**	
				14	**MEETHRI**	
				15	**NAWAPURA**	
				16	**OGALA**	
				17	**PANCHARLA**	
				18	**PANDARWALI**	
				19	**PANORIYA**	
				20	**SANWLASI**	
				21	**SATA**	
				22	**TARLA**	
10.	गडरारोड	गडरारोड	गडरारोड	**1**	**AASARI**	
				2	**ACHARANIYON KI DHANI**	
				3	**BALEWA**	
				4	**BANDASAR**	
				5	**BANDHARA**	
				6	**BEEJAWAL**	
				7	**CHETRODI**	
				8	**DETANI**	
				9	**DOODHORA**	
				10	**DRABHA**	
				11	**GADRA ROAD**	
				12	**GIRAB**	
				13	**HARSANI**	
				14	**JAISINDHAR GAON**	
				15	**JAISINDHAR STATION**	
				16	**JHANKALI**	
				17	**KHABDALA**	
				18	**KHADEEN**	
				19	**KHALIFE KI BAORI**	
				20	**KHANIYANI**	
				21	**KHARCHI**	
				22	**KHUDANI**	
				23	**KUBRIYA**	
				24	**MAGRA**	
				25	**MALANA**	
				26	**PANNELA**	
				27	**PHOGERA**	
				28	**RANASAR**	
				29	**RATRERI KALAN**	
				30	**RAVATSAR**	
				31	**REDANA**	
				32	**ROHIDAALA**	
				33	**ROHIDI**	
				34	**SHAHDAD KA PAR**	
				35	**SUNDRA**	
				36	**TAMLOR**	
				37	**TANUMAN JI**	

11.	बायतु	गिड़ा	गिड़ा	1	CHEEBI	
				2	CHIDIYA	
				3	CHIMONIYON KI DHANI	
				4	DANPURA	
				5	DEVPURA URF GOGASAR	
				6	GIRA	
				7	HEERA KI DHANI	
				8	JAGARAM KI DHANI	
				9	JAJAVA	
				10	JAKHARA	
				11	KANOR	
				12	KARALIYA BERA	
				13	KASHUMBLA BHATIYAN	
				14	KHARADA BHARAT SINGH	
				15	KHARAPAR	
				16	KHOKHSAR	
				17	KHOKHSAR PASCHIM	
				18	KHOKHSAR PURV	
				19	KUMPALIYA	
				20	LAPUNDARA BARHTHAN	
				21	MADON KI DHANI	
				22	MANPURA KHARDA	
				23	MEGWALON KI BASTI	
				24	NEEMBA KI DHANI	
				25	PAREU	
				26	PATALINADI	
				27	PUNIYO KA TALA	
				28	RADIYA TALAR	
				29	RATEU	
				30	SANTRA	
				31	SAWAU MOOLRAJ	
				32	SAWAU PADAMSINGH	
				33	SHAHAR	
				34	SHYAMPURA	
				35	SOHADA	
				36	UTARANI	
12.	गुडामालानी	गुडामालानी	गुडामालानी	1	AALPURA	
				2	ARTBAW	
				3	BANTA	
				4	BARASAN	
				5	BERIGAON	
				6	BHAKHARPURA	
				7	BHEDANA	
				8	DABAD	
				9	DEDAWAS JAGEER	
				10	DEVNAGAR	
				11	GADEVI	
				12	GANDHAW KALAN	
				13	GUDHAMALANI	
				14	JEEWANIYO KO DHANI	
				15	KHADAALI	
				16	KHARWA	
				17	LUNWA JAGEER	
				18	MOKHAWA KHURD	
				19	NAGAR	
				20	NAYA NAGER	
				21	NEHARO KA VAS	
				22	PALIYALI	
				23	PEEPRALI	
				24	PUNJA BERI	

				25	RAMJI KA GOL	
				26	RAMJI KA GOL PHANTA	
				27	RATANPURA	
				28	ROLI	
				29	SAGRANIYON KI BERI	
				30	SINDHASWA CHAUHANAN	
				31	SINDHASWA HARNIYAN	
13.	बालोतरा	पचपदरा	कल्यानपुर	1	ARABA CHOHAN	
				2	ARABA DUDAWATAN	
				3	BALAU JATI	
				4	CHACHARLAI KALLA	
				5	DEORIYA	
				6	DHANI SHANKHALA	
				7	DOLI KALLA	
				8	DOLI RAJGURA	
				9	GANGAWAS	
				10	GHAROI CHARNAN	
				11	GODAWAS	
				12	GWALNADA	
				13	JASTI	
				14	KALYANPUR	
				15	KANKRALA	
				16	KHEEPALI KHERA	
				17	KORNA	
				18	KURI	
				19	MANDLI	
				20	MOOL KI DHANI	
				21	NAGANA	
				22	NEWRI	
				23	PATAU KHURD	
				24	RORWA KALAN	
				25	SARWARI	
				26	SOORPURA	
				27	THOB	
				28	THUMBLI	
				29	TIRSINGRI SODHA	
14.	सिणधरी	सिणधरी	पायलाकला	1	AMALIYALA	
				2	DARGUDA	
				3	ED - SINDHARI	
				4	ED MANJI	
				5	KADANARI	
				6	KAGON KI DHANI	
				7	KHUDALA	
				8	KOSHLOO	
				9	LOLAWA	
				10	LOONA KALAN	
				11	MOTISARA	
				12	NAI UNDARI	
				13	NEHRO KI DHANI	
				14	PAYLA KALAN	
				15	PAYLA KHURD	
				16	RAMDEORA	
				17	SARA	
				18	SARA JHOOND	
				19	SARADHANJI	
				20	TALBANIYO KI DHANI	
15.	बालोतरा	पचपदरा	पटोदी	1	BAGAWAS	
				2	BANIYAWAS	
				3	BARNAWA JAGEER	

				4	BHAGWANPURA	
				5	BHAKARSAR	
				6	CHILANADI	
				7	DAUKIYON KA TALA	
				8	DHURGAPURA	
				9	GANGAPURA	
				10	JAWAHAR PURA	
				11	KALEWA	
				12	KANWARLI SURAJ BERA	
				13	KESARPURA	
				14	KHANORA	
				15	KHARDI	
				16	KHARINADI	
				17	LAKHANIYON KI DHANI	
				18	MOHANPURA	
				19	MUKANPURA	
				20	NAVATALA	
				21	NAWODA BERA	
				22	NAYAPURA	
				23	OKATIYA BERA	
				24	PATASAR	
				25	PATODI	
				26	REENCHHOLI	
				27	SAJIYALI PADAM SINGH	
				28	SAJIYALI ROOPJI RAJABERI	
				29	SAMBHRA	
				30	SANGRANADI	
				31	SIMARKHIYA	
16.	रामसर	रामसर	रामसर	1	ABHE KA PAR	
				2	BABUGULERIYA	
				3	BASRA	
				4	BHACHBHAR	
				5	BHEENDE KA PAR	
				6	BOOTHIYA	
				7	CHADAR MADRUP	
				8	CHADI	
				9	CHARWA TAKHATA BAD	
				10	DERASAR	
				11	GAGRIYA	
				12	GANGALA	
				13	GARDIYA	
				14	HATHMA	
				15	INDROHI	
				16	JAKHRON KA TALA	
				17	KANTAL KA PAR	
				18	KHADEEN	
				19	KHARA RATHORAN	
				20	KHARIYA RATHORAN	
				21	MEKARAN WALA	
				22	PADHARIYA	
				23	PANDHI KA PAR	
				24	RAMSAR	
				25	SAJJAN KA PAR	
				26	SETRAU	
				27	SIHANI	
				28	SIYAI	
				29	SURALI	
				30	SUWARA	
				31	TAMLIYAR	

17.	सिवाना	समदड़ी	समदड़ी	1	AJEET	
				2	AMBON KA BARA	
				3	BAAMSEEN	
				4	BHALARON KA BARA	
				5	DEVRA	
				6	DHINDAS	
				7	JETHANTARI	
				8	KAMON KA BARA	
				9	KARMAWAS	
				10	KHANDAP	
				11	KHEJARIYALI	
				12	KOTARI	
				13	LALANA	
				14	MAJAL	
				15	PHOOLAN	
				16	RAKHI	
				17	RAMPURA	
				18	RANI DESIPURA	
				19	RATRI	
				20	SAMADARI	
				21	SAMDARI STATION	
				22	SANWARDA	
				23	SARWADI	
				24	SEWALI	
				25	SILORE	
				26	THAKAR KHERA	
18.	सेडवा	सेडवा	सेडवा	1	AAKAL	
				2	ADARSH KEKAD	
				3	ALOO KA TALA	
				4	BAMADLADER	
				5	BAMARLA	
				6	BHANWAR	
				7	BHERUDI	
				8	CHICHADASAR	
				9	GULE KI BERI	
				10	HARPALIYA	
				11	JANPALIYA	
				12	JATON KA BERA	
				13	JHARPA	
				14	KARTIYA	
				15	KEKAD	
				16	KUNDANPURA	
				17	LAKRASAR	
				18	NAWATALA BAKHASAR	
				19	PANDHI KA NIWAN	
				20	ROHILA	
				21	SALARIYA	
				22	SARLA	
				23	SEDWA	
				24	SHERPUR	
				25	SHOBHALA DARSAN	
				26	SINHAR	
				27	SOMARADI	
				28	SONARI	
19.	शिव	शिव	शिव	1	AAKLI	
				2	ARANG	
				3	BALAI	
				4	BALASAR	
				5	BARIYADA	
				6	BHINYAR	

				7	BISOO KALLAN	
				8	BUDHATALA	
				9	CHOCHRA	
				10	DHANANI MEGHWALON KI DHANI	
				11	DHARVI KALAN	
				12	DHARWI KHURD	
				13	GUNGA	
				14	HARWA	
				15	HATHISINGH KA GAON	
				16	JHANPHALEE KALLAN	
				17	JONEJO KI BASTI	
				18	JORANADA	
				19	KANASAR	
				20	KASHMIR	
				21	KAYAM KI BASTI	
				22	KOTRA	
				23	LAXMIPURA	
				24	MOKHAB KALLAN	
				25	MUNGERIYA	
				26	NAGARDA	
				27	NEEMBLA	
				28	NEGRADA	
				29	POSHAL	
				30	RAJBERA	
				31	RAJDAL	
				32	RAMDERIYA	
				33	RANEJI KI BASTI	
				34	RATRI	
				35	SHEO	
				36	SHIVAJI NAGAR	
				37	SWAMI KA GAON	
				38	UNDOO	
20.	सिणधरी	सिणधरी	सिणधरी	1	ARINIYALI MAHECHAN	
				2	BAMANI	
				3	BANDANADA	
				4	BHATA	
				5	BHOOKA BHAGATSINGH	
				6	BILASAR	
				7	CHADO KI DHANI	
				8	DAKHAN	
				9	DANDALI	
				10	DHANWA	
				11	DHOORIYA MOTISINGH	
				12	GODARON KA SARA	
				13	HODOO	
				14	JUNA MEETHA KHEDA	
				15	KAMTHAI	
				16	KARNA	
				17	KHARA MAHECHAN	
				18	KHARANTIYA	
				19	LOHIDI	
				20	LOOKHON KI DHANI	
				21	MANAWAS	
				22	NAKORA	
				23	SAMDARON KA TALA	
				24	SANPA MANJI	
				25	SARNO KA TALA	
				26	SEOREN KI DHANI	
				27	SINDHARI CHARNAN	

				28 SINDHARI CHUASEERA **29 TAKOOBERI** **30 UCHIYA**	
21.	सिवाना	सिवाना	सिवाना	**1 ANNPURNA NAGAR** **2 ARJIYANA** **3 BERANARI** **4 BHAGWA** **5 BHAGWA RAGHUNATHPURA** **6 BHEEMGODA** **7 DEWANDI** **8 DHARNA** **9 DHEERA** **10 GOLIYA** **11 GURA** **12 INDRANA** **13 ITWAYA** **14 KANKHI** **15 KATHARI** **16 KHAKHARLAI** **17 KUNDAL** **18 KUSEEP** **19 MAHILAWAS** **20 MANGI** **21 MAWARI** **22 MELI** **23 MITHORA** **24 MOKALSAR** **25 MOOTHALI** **26 MOTISARA** **27 NAL** **28 PADARDI KALAN** **29 PADROO** **30 PAUN** **31 RAMANIYA** **32 SELA** **33 SINER** **34 SIWANA** **35 THAPAN**	

2.4 <u>नदियां व बांध –</u> बाड़मेर जिले की लूणी प्रमुख नदी है, जो अजमेर जिले के अरावली पर्वतमाला की नाग पहाडियों से प्रारम्भ होकर पाली व जोधपुर जिले में प्रवाहित होती हुई बाड़मेर जिले के ग्राम रामपुरा के पास प्रवेश करती है। मुख्यतः लूनी नदी एवं सहायक सूकड़ी नदी है। **बांधः–**बाड़मेर जिले के सिवाना उपखण्ड के मेली राजस्व ग्राम में एक बांध है। जिसकी भराव क्षमता 15 फीट है।

2.6 <u>परिवहन</u> :–

- **<u>वायु मार्ग</u>**:– आपातकाल के लिए उतरलाई वायु सेना हवाई अडडा उपलब्ध है। इसके साथ ही जोधपुर हवाई अडडा भी जिला मुख्यालय से लगभग 200 किलोमीटर दूर है।

- **रेल मार्गः**– बाड़मेर से रेल मार्ग द्वारा देश के लगभग सभी राज्यों में यात्रा की जा सकती है।
- **सड़क मार्गः**–

राष्ट्रीय राजमार्ग	राज्य राजमार्ग
एनएच–68 – जैसलमेर–बाड़मेर–सांचोर	• एसएच–16 – बाड़मेर–जालोर–पाली–राजसमंद • एसएच–28 – जोधपुर–बाड़मेर • एसएच–28बी– पचपदरा–बागुंडी • एसएच–38 – बाड़मेर–जालोर–सिरोही • एसएच–40 – बाड़मेर–जैसलमेर • एसएच–65 – बाड़मेर–जैसलमेर–जोधपुर • एसएच–66 – बाड़मेर–जोधपुर वाया समदड़ी • एसएच–68 – बाड़मेर–जोधपुर वाया बालोतरा

2.7 जिला प्रशासन की सूची

क्र.सं.	पदनाम	कार्यालय	निवास
	प्रशासनिक अधिकारी गण		
1	जिला कलक्टर, बाड़मेर	02982 220003	02982 220004
2	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, बाड़मेर	02982 220292	02982 220296
3	अति.जिला कलक्टर, बाड़मेर	02982 220007	02982 220008
4	उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर	02982 220009	02982 224709
5	उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा	02988 220005	02982 220005
6	उपखण्ड अधिकारी, शिव	02987 253301	02987 253381
7	उपखण्ड अधिकारी, बायतु	02982 241212	02982 241211
8	उपखण्ड अधिकारी, चोहटन	02989 286205	02989 286207
9	उपखण्ड अधिकारी, रामसर	02985 270003	
10	उपखण्ड अधिकारी, सिवाना	02901 230207	02901 231207
11	उपखण्ड अधिकारी, धोरीमना	02986 294007	
12	डपखण्ड अधिकारी,गुडामालानी	02983 280052	
13	उपखण्ड अधिकारी, सिवाना	02901 230207	
14	उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी	02984 294007	
15	उपखण्ड अधिकारी, गडरारोड		
16	जिला रसद अधिकारी, बाड़मेर	02982 220164	
	तहसीलदार गण		
1	तहसीलदार, बाड़मेर	02982 220224	02982 220224
2	तहसीलदार, बायतु	02982 241183	02982 241183
3	तहसीलदार, सिवाना	02901 230613	02901 230613
4	तहसीलदार, गुड़ामालानी	02983 280031	02983 280031
5	तहसीलदार, शिव	02987 253095	02987 253095
6	तहसीलदार, पचपदरा	02988 281241	02988 281241
7	तहसीलदार, चोहटन	02989 286130	02989 286130
8	तहसीलदार, रामसर	02985 270078	02985 270078
9	तहसीलदार, सेड़वा	02903 214041	
10	तहसीलदार, सिणधरी	02984 284655	
11	तहसीलदार, बाड़मेर ग्रामीण		
12	तहसीलदार, गडरारोड		
13	तहसीलदार, नोखड़ा		
14	तहसीलदार, कल्याणपुर		
15	तहसीलदार, धनाउ		
16	तहसीलदार, बाटाडू		
17	तहसीलदार, धोरीमना		
18	तहसीलदार, समदडी		
19	तहसीलदार,गिड़ा		
	पुलिस अधिकारी गण		
1	जिला पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर	02982 220005	02982 220006
2	अति.जिला पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर	02982 220930	02982 220078
3	अति.जिला पुलिस अधीक्षक, बालोतरा	02988 221072	

4	अति.जिला पुलिस अधीक्षक, CID बाड़मेर	02982 220617	
5	अति.जिला पुलिस अधीक्षक, ACB बाड़मेर	02982 220346	
6	पुलिस उपाधीक्षक, बाड़मेर	02982 223900	02982 220079
7	पुलिस उपाधीक्षक, बालोतरा	02988 221007	02988 221007
8	पुलिस उपाधीक्षक, चोहटन	02989 286139	02989 286139
9	पुलिस उपाधीक्षक, गुड़ामालानी	02983 280024	
	अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी गण		
1	अधीक्षण अभियन्ता, जन.स्वा.अभि.विभाग, बाड़मेर	02982 220253	02982 220254
2	अधीक्षण अभियन्ता, सा.नि.वि. बाड़मेर	02982 226295	02982 226425
3	अधीक्षण अभियन्ता, जो.वि.वि.नि.लि.बाड़मेर	02982 233788	02982 221390
4	अधिषाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. बाडमेर	02982 220064	
5	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, बाड़मेर	02982 230228	
6	जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक) बाड़मेर	02982 230228	
7	जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रारम्भिक) बाड़मेर	02982 221114	
8	उप निदेशक,आयुर्वेदिक विभाग, बाड़मेर	02982 222049	
9	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बाड़मेर	02982 230369	02982 230383
10	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बालोतरा	02988 220910	02982 220385
11	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर	02982 230462	02982 220204
12	अधिषाषी अभियन्ता, GWD बाड़मेर	02982 220408	02982 220329
13	संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, बाड़मेर	02982 230284	
14	प्रबन्धक, सर्किट हाउस, बाड़मेर	02982 220727	02982 220727
15	प्रबन्धक, डॉक बंगला, बाड़मेर	02982 220604	
16	आयुक्त, नगर परिषद्, बाड़मेर	02982 220048	02982 220094
17	आयुक्त नगर परिषद्, बालोतरा	02988 220024	02982 221156
18	जिला परिवहन अधिकारी, बाड़मेर	02982 220615	
19	जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, बाड़मेर	02982 220973	
20	क्षेत्रीय उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास, बाड़मेर	02982 220642	02982 220721
21	समाज कल्याण अधिकारी,बाड़मेर	02982 220320	02982 220619
22	कोषाधिकारी, बाड़मेर	02982 220404	02982 226648
	विकास अधिकारी गण		
1	विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बाड़मेर	02982 220062	02982 222990
2	विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बायतु	02982 241128	02982 241128
3	विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बालोतरा	02988 220007	02988 220007
4	विकास अधिकारी, पंचायत समिति, धोरीमना	02986 264224	02986 264291
5	विकास अधिकारी, पंचायत समिति, शिव	02987 253036	02987 253036
6	विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिवाना	02901 230603	02901 230625
7	विकास अधिकारी, पंचायत समिति, चोहटन	02989 286126	02989 286126
8	विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिणधरी	02984 284444	02984 284555
9	विकास अधिकारी, पंचायत समिति, धनाउ	02989 288029	
10	विकास अधिकारी, पंचायत समिति, गुड़ामालानी	02983 280201	
11	विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रामसर	02985 270017	
12	विकास अधिकारी, पंचायत समिति, गडरारोड़	02981 278050	
13	विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पाटोदी	02938 254555	
14	विकास अधिकारी, पंचायत समिति, कल्याणपुर	02980 255001	

भाग – III

3.1 नागरिक सुरक्षा सेवायें – नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के तहत हवाई हमले नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम (Revised Edition 2011) एवं नागरिक सुरक्षा सामान्य सिद्धान्त (Revised Edition 2003) के तहत हवाई हमला एवं अन्य आपदाओं के दौरान जान व माल की सुरक्षा एवं नागरिक सुरक्षा कार्यों के प्रभावी संचालन हेतु, नागरिक सुरक्षा कार्यों को निम्नानुसार 12 सेवाओं में विभक्त किया गया है :–

क्र. सं.	सेवा का नाम	नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की अधिकृत नफरी	वर्तमान में उपलब्ध नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक
1.	मुख्यालय	–	–
2.	संचार सेवा	285	02
3.	वार्डन सेवा	1458	05
4.	अग्निशमन सेवा	10868	1568
5.	प्रशिक्षण सेवा	14350	04
6.	हताहत सेवा	625	14
7.	बचाव	416	0
8.	साल्वेज सेवा	117	0
9.	पूर्ति सेवा	90	0
10.	डिपो व परिवहन सेवा	70	0
11.	कल्याण सेवा	728	0
12.	शव निपटान सेवा	78	0
	योग	29085	1593

नॉट :– रिवेम्पिंग ऑफ सिविल डिफेन्स पॉलिसी 2009 के तहत नागरिक सुरक्षा की आपदा प्रबन्धन में अतिरिक्त भूमिका दिये जाने के उपरान्त, भारत सरकार द्वारा गठित कमेठी द्वारा उक्त 12 नागरिक सुरक्षा सेवाओं के स्थान पर निम्नानुसार 07 नागरिक सुरक्षा सेवाओं के गठन की सिफारिश की गयी है:–

1. मुख्यालय व संचार सेवा
2. वार्डन सेवा
3. हताहत सेवा
4. प्रशिक्षण सेवा
5. अग्निशमन सेवा
6. बचाव व साल्वेज सेवा
7. कल्याण सेवा

(इसके साथ ही उक्त 07 नागरिक सुरक्षा सेवाओं के अतिरिक्त जन–जागरुकता कार्यक्रम (Public Awarness) एवं सामुदायिक क्षमतावर्द्धन (Community Capacity Building) जैसे अतिरिक्त कार्य भी नागरिक सुरक्षा के माध्यम से संचालित किये जा सकेंगे।)

3.2 नागरिक सुरक्षा सेवा के कमान अधिकारी/प्रभारी अधिकारियों का मनोनयन – नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 की धारा 5(I) में प्रदत्त शक्तियों नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा द्वारा निम्नानुसार नागरिक सुरक्षा सेवाओं के कमान अधिकारी/प्रभारी अधिकारी मनोनीत किये गये हैं :–

क्र.सं.	नाम सेवा	पद	दूरभाष नंबर	
			आफिस	घर
1.	मुख्यालय	नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा बाड़मेर	220003	220004
2.	संचार सेवा	दूर संचार जिला प्रबन्धक बाड़मेर	221100	221200
3.	वार्डन सेवा	उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर	220009	224709
4.	अग्निशमन सेवा	आयुक्त, नगर परिषद्, बाड़मेर	220048	220094
5.	प्रशिक्षण सेवा	उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा, बाड़मेर	220075	–
6.	हताहत सेवा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, बाड़मेर	230462	220204
7.	बचाव	अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, बाड़मेर।	226295	226425
8.	साल्वेज सेवा	कोषाधिकारी,बाड़मेर	220404	226648
9.	पूर्ति सेवा	जिला रसद अधिकारी, बाड़मेर	220164	–
10.	डिपो व परिवहन सेवा	जिला परिवहन अधिकारी, बाड़मेर	220615	–
11.	कल्याण सेवा	सहायक निदेशक, समाज कल्याण विभाग बाड़मेर	230009	–
12.	शव निपटान सेवा	तहसीलदार, बाड़मेर	220224	–

4. मुख्यालय सेवा (Headquarter Service) – मुख्यालय व संचार सेवा के अन्तर्गत

नियत्रंक (जिला कलक्टर) द्वारा नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के तहत प्रदत शक्तियों, अधिकारों व नियमों के आधार पर नागरिक सुरक्षा की विभिन्न सेवाओं के लिए सम्बधित सरकारी तन्त्र को आवश्यक दिशा–निर्देश दिये जाकर आम जनता के मनोबल/जानमाल की क्षति को कम से कम करने के लिए कार्य विकेन्द्रित कर नियन्त्रित किया जाता है।

4.1 **<u>नियंत्रक (Controller)</u>** – राज्य सरकार द्वारा नागरिक सुरक्षा अधिनियम (27) 1968 की धारा 4 (1) के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट को जिले में नागरिक सुरक्षा का ''नियंत्रक'' नियुक्त किया गया है। नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा के कार्य निम्नानुसार हैं :-

- जिले की नागरिक सुरक्षा की योजना और उसके कार्यों पर सामान्य नियंत्रण रखना।
- नागरिक सुरक्षा कार्यों के तहत महत्वपूर्ण मामलों में निर्णायक की भूमिका निभाना।
- विभिन्न उप–नियंत्रण केन्द्रों के बीच या निकटवर्ती क्षेत्रों से पारस्परिक सहायता प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होता है।
- स्थिति की पर नियंत्रण हेतु समस्त सेवा प्रभारियों व संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश देनें एवं इसकी जानकारी उच्च–अधिकारियों को भेजने का कार्य।
- सभी विभागों के प्रमुखों को आपदा से निपटने हेतु सचेत करना तथा उन्हें विभागानुसार समुचित प्रबंधन का आदेश देना।
- आपदा स्थल पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना करना। आपदा स्थल पर स्वास्थ्य, राहत, जानकारी आदि के लिए अलग–अलग काउन्टर बनाना।
- आपदा स्थल के नियंत्रण कक्ष पर सभी सूचनाओं को इकट्ठा करवाना तथा राज्य नियंत्रण कक्ष तक सूचनाओं को भेजना।
- सभी विभागों में समन्वय करना।
- समय समय पर उच्च अधिकारियों तथा मीडिया हेतु सूचनाएं व आकडें तैयार रखवाना।
- बाहरी आक्रमण की स्थिति में हवाई हमले से होने वाले संभावित खतरे एवं उससे निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम 2011 के तहत हवाई हमले से पहले, दौरान व बाद में किये जाने वाले उपाय/कार्य।

4.2 <u>मुख्यालय सेवा के कर्तव्य</u> :– नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम (पृष्ठ 97 से 111 तक) के अनुसार मुख्यालय सेवा के कर्तव्यों को निम्नानुसार तीन भागो मे बॉटा गया है:–

(क) <u>शान्तिकाल में कर्तव्य</u> :–

- नागरिक सुरक्षा संबंधी योजना पूर्ण रूप से तैयार करना।
- नागरिक सुरक्षा सेवाओ ंके सभी उपकरण प्राप्त करना, सही रखना तथा उचित भण्डारण करना।
- नागरिक सुरक्षा की योजना के अनुसार नागरिको का प्रशिक्षित करना, सेवाओं को तैयार करना, उनका कार्य क्षैत्र निर्धारित करना।
- आवश्यक सेवाओं की आपातकालीन योजना बनाना।
- वाहनों की संख्या का आंकलन कर उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना।

- वाहनों के ढांचे मे परिवर्तन आवश्यकतानुसार चाहिए तो उसका प्रबन्ध करना।
- आपातकालीन समय मे डीजल, पैट्रोल ,ऑयल ग्रीस तथा स्पेयर पार्टस की मॉग बढ जाती है। उनकी आपूर्ति हेतु योजना बनाना एवं नियन्त्रण में रखना।
- रोशनी पर प्रतिबन्ध लगाने के आदेश की आवश्यकता होने पर प्रकाश प्रतिबन्ध आदेश G.P.C.D.. के पृष्ठ सं. 174 से 184 तक निर्दिष्ट है, को लागू कराना एवं उसका कड़ाई से पालन करना।
- हवाई हमलों के दौरान स्थानीय आर्मी के एक प्रतिनिधि को नियन्त्रण कक्ष मे बैठाने की व्यवस्था कराना।
- नागरिक सुरक्षा सेवाओं के प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति करना G.P.C.D..में निर्दिष्टानुसार सेवा प्रभारियों को कार्य बॉटकर योजना बनाने मे मदद लेना।

(ख) <u>चेतावनी से पूर्व (प्रिकॉशनरी स्टेज) के कर्तव्य</u> :–

- नागरिक सुरक्षा उपायो का पूर्वालोकन करना।
- जनसाधारण को नागरिक सुरक्षा प्रबन्धो के संबधं मे विस्तार से जानकरी प्रदान करने की व्यवस्था करना।
- जनता को अग्निशमन हेतु प्रशिक्षित करना।
- नागरिक सुरक्षा जन आवश्यकता हेतु निर्धारित मकानो के अधिग्रहण करने की सूचना देकर कार्यवाही करना।
- एडवाइजरी कमेटी (को–ओर्डीनेशन कमेटी)/नागरिक सुरक्षा सेवा प्रभारी अधिकारियों से विचार विमर्श कर सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा आवश्यक सेवाओं वाले भवनों/कार्यालयों को सुरक्षित करवाना।
- टेलीफोन विभाग को नागरिक सुरक्षा के लिए अतिरिक्त टेलीफोन की मांग देना।
- शान्ति काल मे किए गए सभी प्रयासो को मूर्तरूप मे तैयार रखना।
- नागरिक सुरक्षा सेवाओ के लिए स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं से आवश्यक सहयोग हेतु बैठक करना।
- नागरिक सुरक्षा संचार व्यवस्था को सुव्यवस्थित रखवाना।
- आवश्यकता पड़ने पर पास वाले नागरिक सुरक्षा नगर से सहायता लेने की योजना बनाना।
- निष्क्रमण योजना की पूर्ण तैयारी करना।
- नागरिक सुरक्षा भण्डार की समुचित व्यवस्था हेतु राज्य सरकार से उचित बजट प्राप्त करना।
- समयानुसार रिपोर्ट भिजवाना।

(क) <u>युद्व काल में कर्तव्य</u> :–

- समस्त नागरिक सुरक्षा प्रयासों को पूर्ण रूप से कार्यशील बनाना।
- सभी वांछित वाहन, मकान आदि का अधिग्रहण करना, सभी नागरिक सुरक्षा सेवाओं के आपसी तालमेल को देखना।
- नागरिक सुरक्षा सेवाओ को वांछित सामान उपलब्ध कराते रहना एवं उनका भण्डारण करना।
- पशु पक्षी आदि की सुरक्षा व्यवस्था निश्चित कराना।
- सभी नागरिक सुरक्षा उपायो का समय–समय पर निरीक्षण करते रहना।
- डीजल पैट्रोल ऑयल वाहन के पुर्जे आदि का भण्डारण सुरक्षित रखना।
- प्रकाश व्यवस्था की जनता में जानकारी देते हुए उसकी समय व्यवस्था को कडाई से लागे कराना।
- जन कार्यो हेतु वांछित भवन, कार्यालयो की समुचित सुरक्षा कराना।
- शैडो कन्ट्रोल रूम में आवश्यक साधनो की उचित व्यवस्था करना।
- समय–समय पर प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करना एवं राज्य सरकार को भेजना।

5. <u>संचार सेवा (Communication Service)</u>

5.1 **<u>चेतावनी प्रणाली</u>** :– नागरिक सुरक्षा में चेतावनी प्रणाली को दो भागों में विभक्त किया गया है।

5.2 **<u>नियत्रण कक्ष</u>** – नागरिक सुरक्षा की विभिन्न गतिविधियों/कार्यक्लापों का नियंत्रण करने के लिए, नागरिक सुरक्षा सेवाओं का आपसी सांमजस्य बनाये रखने के लिए तथा युद्व संबंधी सूचनाऐं एकत्रित कर उच्चाधिकारियों को सूचित करने के लिए, नियन्त्रक (जिला कलक्टर) एवं अन्य नागरिक सुरक्षा सेवाओं के ऑफिसर कमान्डिंग के साथ बैठ कर युद्व/आपदा की स्थिति की समीक्षा और उनको कार्य रूप देने के लिए इत्यादि हेतु चिन्हित स्थान में ''**नियंत्रण कक्ष**'' स्थापित किया जाता है, जहां से समस्त नागरिक सुरक्षा गतिविधियों का संचालन किया जाता है। इसके अलावा नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम के आधार पर जिले में नागरिक सुरक्षा उप नियंत्रण केन्द्रों की स्थापन की जाती है।

5.3 **<u>चेतावनी प्रणाली</u>** – नागरिक सुरक्षा प्रयासों को सही रूप से क्रियान्वित करने के लिए चेतावनी प्रणाली का सुव्यवस्थित होना, खतरे के उद्गम स्थल में चेतावनी की प्राप्ति तथा नियंत्रण कक्ष से नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों एवं जनता में आवश्यक चेतावनी का प्रसारण करना, एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके अभाव मे समस्त नागरिक सुरक्षा प्रयास एवं प्रयत्न चाहे वे कितने ही सुदृढ, समुचित एवं सुव्यवस्थित क्यों न हो, निष्प्रभावी हो जायेगें। चेतावनी प्रणाली प्रक्रिया के

माध्यम से बिना समय नष्ट किये सूचना को संबधित सेवाओं, स्वयंसेवकों तथा आमजन तक पहुचाया जाता है। चेतावनी प्रणाली को दो प्रकार की होती हैं :–

5.3(क) **बाह्य चेतावनी प्रणाली** (**External Warning System**):– चेतावनी प्रणाली द्वारा बिना समय नष्ट किये जैसे ही शत्रु के बम वर्षक विमान हमारी वायु सेनाओं के राडारों पर नजर आते हैं, उनकी सूचना वायु सेना उतरलाई के नियन्त्रण कक्ष ''एयर डिफेन्स डाइरेक्टिव सेन्टर, (ADDC)'' से रीजनल सिविल डिफेन्स कन्ट्रोल सेन्टर (RCDCC) बाड़मेर को दी जाती है। रीजनल सिविल डिफेन्स कन्ट्रोल सेन्टर (RCDCC) बाड़मेर से टाउन सिविल डिफेन्स कन्ट्रोल सेन्टर (TCDCC) बाडमेर, जालौर, सिरोही एवं आबूरोड को दी जाती है।

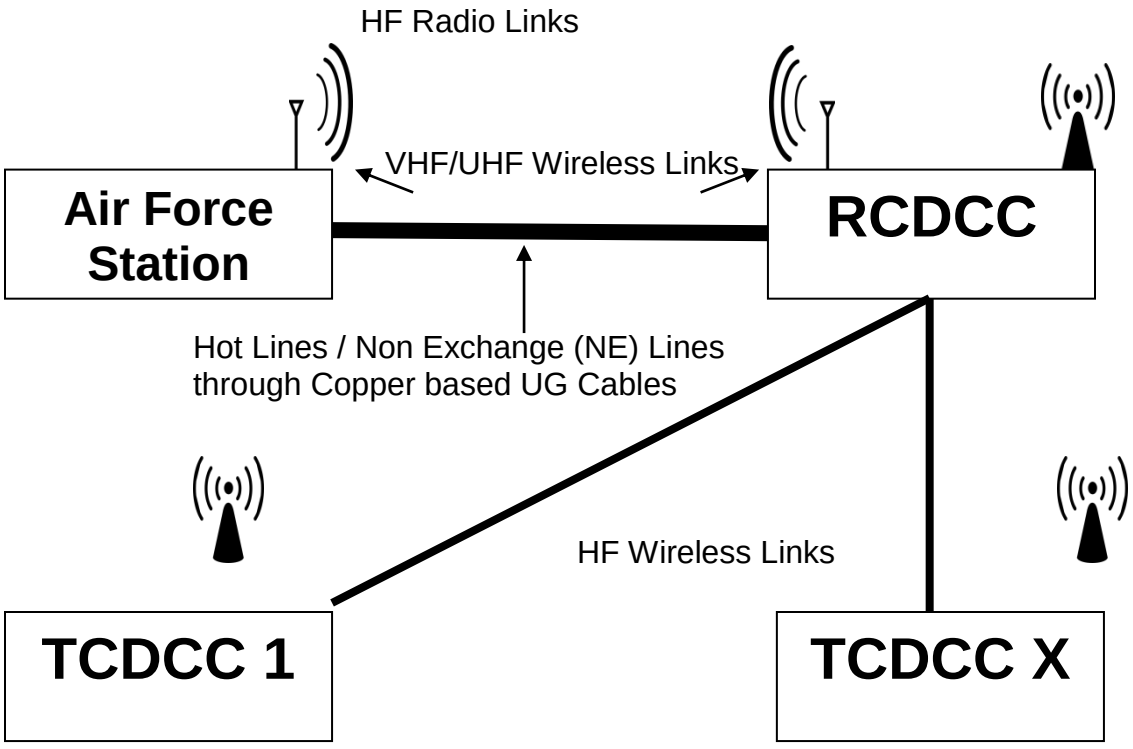

5.3(ख) **आन्तरिक चेतावनी प्रणाली** – बाह्य चेतावनी प्रणाली से प्राप्त सूचनाऐं स्थानीय आमजन तक देने की विधि के लिए समस्त जिला नागरिक सुरक्षा नियंत्रण केन्द्रों पर ARP यंत्र (Air Raid Precausion Instrument) किये जाते हैं। इस प्रणाली से दो प्रकार से सूचनाए प्रसारित की जाती है।

(i) टेलीफोन

(ii) विद्युत सायरन

Internal Communication Schema

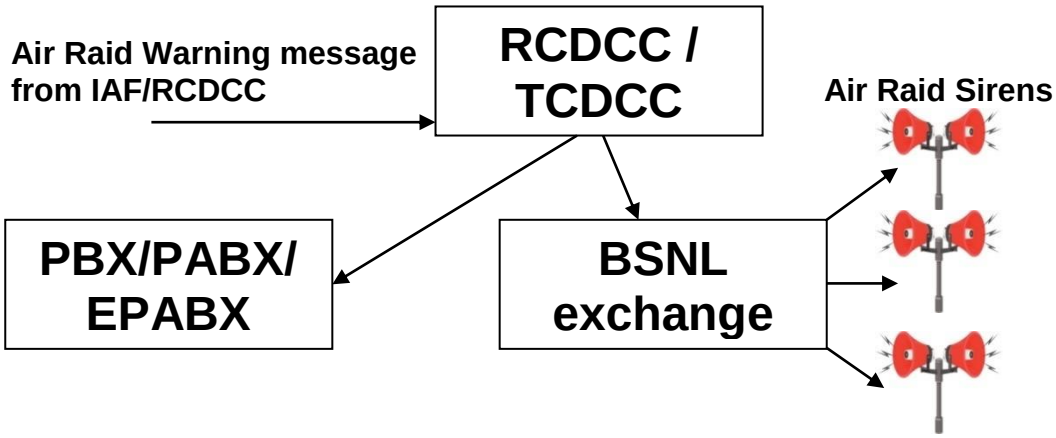

Message to Civil Authorities as per Emergency Communication Plan

- District Collector
- Police authorities
- Fire services authorities
- Emergency services authorities
- Hospital authorities etc and others

5.4 **नागरिक सुरक्षा में चेतावनी प्रणाली के साधन** :– समय–समय पर भारत सरकार की संचार नीति राज्य सरकार को प्रेषित कर नागरिक सुरक्षा में संचार साधन उपलब्ध कराये जाते है। राज्य सरकार नीति अनुरूप संचार साधनों हेतु भारत संचार निगम लिमिटेड में उपलब्ध नवीन तकनीक के साधनों की जानकारी एवं साधनों की उपलब्धता तथा उन पर होने वाले व्यय को मध्य नजर रखते हुए, अपने नागरिक सुरक्षा नगरों मे विभिन्न साधन उपलब्ध कराती है, जो निम्नानुसार हैः–

टेलीफोन :–

- बाहरी संचार व्यवस्था के तहत वायु सेना नियंत्रण कक्ष को रीजनल सिंविल डिफेन्स कन्ट्रोल सेन्टर तक एक टेलीफोन नॉन एक्सचैन्ज लाईन से जोडा जाता है।
- आर.सी.डी.सी.सी से टी.सी.डी.सी.सी. तक व आगे एस.सी.डी.सी.सी. तक चेतावनी देने हेतु टेलीफोन की एन.ई. लाईन द्वारा विशेष सुविधा 'कान्फ्रेस कॉल फेसेलिटि' प्रदत की जाती है।

- टेलीफोन द्वारा ही शहर में विशेष अधिकारियों/वार्डन पोस्टों, कार्यालयों को एक साथ चेतावनी सूचना देने की सुविधा ''साइमलटेनियस ब्रॉड कास्ट फैसेलिटी'' द्वारा प्रदत कराई जाती है।

वायरलैस :– नागरिक सुरक्षा संचार व्यवस्था को सुदृढ बनाये रखने के लिए भारत सरकार ने राज्यों में नागरिक सुरक्षा नेट पर वायरलैस उपलब्ध कराये हैं ताकि टेलीफोन लाईन में खराबी आने पर वायरलैस से सूचना दी जा सके और निर्धारित कार्य समय पर पूर्ण हो, सुनिश्चित किया जा सके।

मोटरसाईकिल :– आउट डोर संदेश स्थानीय स्तर पर भिजवाने हेतु उपरोक्त दोनो व्यवस्थायें ठप्प होने की स्थिति में नियंत्रण कक्ष से मोटर साईकिल द्वारा संदेश भेजे जाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। आपात समय में परिवहन विभाग से आवश्यकतानुसार वाहन की मांग की जाती है।

5.5 **चेतावनी प्रणाली के संदेश –** नागरिक सुरक्षा में समय की बचत के लिए एवं सदेश की एक रूपता बनाये रखने के लिए संचार साधनो पर सीमित शब्दो के संदेश प्रसारित किये जाते हैं। ये निम्नानुसार है :–

हवाई हमला चेतावनी संदेश	कार्यवाही	किसके लिए होगा
''पीला''	तैयारी संदेश	केवल संबधित अधिकारियों को दिया जाना है।
''लाल''	खतरे का संदेश	आमजन एवं सभी अधिकारियों को
''हरा''	खतरा टलने का संदेश	आमजन एवं सभी अधिकारियों को
''सफेद''	हवाई हमला चेतावनी संदेशों को निरस्त करना	जिन्हें पीला संदेश की सूचना दी गयी उनको दी जानी है

6. वार्डन सेवा (Warden Service)

6.1 वार्डन सेवा संगठन – वार्डन सेवा नागरिक सुरक्षा की रीढ की हड्डी का कार्य करती है। जिले में उपलब्ध नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों में से योग्यता/वरिष्ठता के आधार पर उसी क्षेत्र के निवासी जो शारीरिक व मानसिक रुप से फिट/स्वस्थ हो व जिनके विरुद्ध किसी भी माननीय न्यायालय में अपराधिक मामले दर्ज/विचाराधीन नहीं हों, को संबंधित नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के तहत प्रावधानानुसार वार्डनों (अवैतनिक ऑनरेरी पदाधिकारी) का चयन किया जाता है। नागरिक सुरक्षा संगठन में उपलब्ध स्वयंसेवकों में से ही वरिष्ठता/योग्यता के आधार पर वार्डनों का चयन प्रथम 03 वर्ष या उसकी नागरिक सुरक्षा

सदस्यता पूर्ण होने (जो भी पहले हो) तक संबंधित नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा द्वारा किया जाता है। उक्त वार्डनों के कार्य मूल्यांकन के आधार पर, यदि नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा उचित समझे तो उनकी नागरिक सुरक्षा सदस्यता का अगले 03 वर्ष के लिए नवीनीकरण करते हुए, उसे पुनः नागरिक सुरक्षा वार्डन नियुक्त कर सकता है। युद्ध/आपदा की स्थिति में नुकसान को कम से कम करने, स्थानीय लोगों को नागरिक सुरक्षा व आपदा प्रबन्धन कार्यों में जागरुक करने व उन्हें नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक बनने के लिए प्रेरित करने, उनका मनोबल बनाये रखने एवं क्षेत्र में नागरिक सुरक्षा कार्यो को प्रभावी बनाये रखने इत्यादि को देखते हुए नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968, नागरिक सुरक्षा सामान्य सिद्धान्त, नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम एवं रिवेंपिंग ऑफ सिविल डिफेन्स पॉलिसी के तहत भारत सरकार द्वारा गठित सलाहकार समिति की रिपोर्ट के आधार पर निम्नानुसार वार्डनों को मनोनयन किया जाता है :–

क.सं.	**वार्डन पदनाम**	**जनसंख्या/अन्य आधार**	
		नगरीय क्षेत्र	**ग्रामीण क्षेत्र**
1.	मुख्य वार्डन	जिलास्तर पर 01	
2.	अतिरिक्त मुख्य वार्डन		
3.	उप मुख्य वार्डन	जिलास्तर पर 02 (01 उप मुख्य वार्डन शहरी क्षेत्र व 01 उप मुख्य वार्डन ग्रामीण क्षेत्र)	
4.	डिवीजनल वार्डन	02 लाख जनसंख्या पर 01	उपखण्ड स्तर पर 01
5.	डिप्टी डिवीजनल वार्डन	02 लाख जनसंख्या पर 01	उपखण्ड स्तर पर 01
6.	पोस्ट वार्डन	20000 जनसंख्या पर 01	05 ग्राम पंचायतों (आवश्यकतानुसार) पर 01
7.	डिप्टी पोस्ट वार्डन	20000 जनसंख्या पर 01	05 ग्राम पंचायतों (आवश्यकतानुसार) पर 01
8.	सेक्टर वार्डन	4000 जनसंख्या पर 02	प्रति ग्राम पंचायत 02
उक्त वार्डनों में से आवश्यकतानुसार प्रति 50000 की जनसंख्या के आधार पर उपलब्ध वार्डनों में से ही 01 घटना अधिकारी मनोनीत किया जा सकेगा।			

6.2 **<u>वार्डन के कर्तव्य</u>** – वार्डन अपने क्षैत्र का परिचित, प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। वार्डन के कर्तव्य व कार्यो के मध्येनजर सोच समझ कर प्रभावशाली व्यक्ति का चयन वार्डन के लिए किया जाता है। वार्डन अपने व्यक्तिगत के प्रभाव से स्थानीय लोगों का सहयोग प्राप्त करता है। वार्डन का कार्य क्षेत्र नियमानुसार है :–

हवाई हमले/आपदा से पहले कार्य	**हवाई हमले/आपदा के दौरान के कार्य**	**हवाई हमले/आपदा के बाद कार्य**
वार्डन अपने क्षेत्र की दिन के समय के लिए एवं रात्रि के समय के लिए सम्पूर्ण जानकरी रखता है।	वार्डन नियन्त्रण कक्ष से सूचना पर अपने क्षेत्र मे स्थित वार्डन पोस्ट पर अपनी उपस्थिति देता	वार्डन हवाई हमले के तुरन्त बाद क्षेत्र का दौरा कर विस्तृत जानकरी लेता हैं।

वार्डन अपने क्षेत्र के सभी परिवार जन की सम्पूर्ण जानकारी रखता है तथा एक हाउस होल्ड, रजिस्टर तैयार करता है। वार्डन आपदा के समय नागरिक सुरक्षा नागरिक सुरक्षा उपायो के लिए विभिन्न स्थानो की जानकारी रखते हुए उनको वार्डन डायरी में लिखकर रिकॉर्ड तैयार रखता है। वार्डन अपने क्षेत्र के लिए नागरिक सुरक्षा सेवाओ में स्वयं सेवक प्रशिक्षित करने के लिए क्षेत्र के लोगो को प्ररित करता है। वार्डन अपने अधीन गृह अग्निशमन दल के लिए स्वयं सेवको का चयन कर उनको नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षिण लेने के लिए प्रेरित करता है, नामों की सूची बनाकर प्रशिक्षिण अधिकारी को देता हैं। वार्डन आमजन को किसी भी आपदा से निपटने के लिए नागरिक सुरक्षा उपायो की जानकारी विस्तृत से समय–समय पर देता है। वार्डन अपने क्षेत्र में प्रशासन की सहायता पहुंचने से पूर्व कार्य प्रारम्भ करने हेतु ''सैल्फ हैल्प पार्टी'' तैयार करता हैं।	है। वार्डन अपने साज सामान से लैस होकर नागरिको को अपने क्षेत्र में सुरक्षा उपाय अपनाने की सलाह सहायको की मदद से देता है। वार्डन अपने क्षेत्र में सायरन नही सुनाई दिये जाने की स्थिति में अन्य साधनो से तदनुसार जानकारी देने का काम करता है। घटना स्थल पर नियन्त्रण के दौरान कार्य कर रहे विभिन्न दलों को कार्य क्षेत्र की जानकारी देने का कार्य, अधिकारियों व आमजन के मध्य सभी उचित सम्पर्क रखने का कार्य करते हैं।	वार्डन अपने क्षेत्र में उपलब्ध/कार्यरत नागरिक सुरक्षा की राहत सेवाओं/अन्य बचाव दलों की जानकारी लेता है। वार्डन घटना के बाद आमजन में फैले आंतक को रोकने व स्थानीय लोगों में आश्वासन व धैर्य बनाये रखता है। वार्डन अपने क्षेत्र की आवश्यक सेवाओं में आई रूकावटों को यथा संभव शीघ्र चालू कराने की कार्यवाही करता है। वार्डन निंरतर नियन्त्रण कक्ष के सम्पर्क में रहता है।

7. <u>अग्निशमन सेवा (Fire Service)</u> – हवाई हमलों के दौरान अग्नि दुघर्टनाओं की संभावना बढ़ जाती है। इस स्थिति से निपटनें के लिए निम्नानुसार नागरिक सुरक्षा अग्निशमन सेवा का गठन किया गया है।

7.1 गृह अग्निशमन दल (House Fire Party) – आग लगने की स्थिति में आग को प्रारंभिक स्थिति में ही नियंत्रण किये जाने के लिए स्थानीय लोगों के सहयोग की आवश्यकता होती है। इसके लिए नागरिक सुरक्षा गृह अग्निशमन दलों का गठन किये जाने का प्रावधान है जिसमें प्रति 1000 जनसंख्या पर एक 04 सदस्यीय नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के गृह अग्निशमन दल का गठन किया जावेगा, जो आग को बढ़ने से रोकने में सहायक होगा। ये दल उस क्षेत्र के नागरिक सुरक्षा वार्डन के अधीन कार्य करेंगे। इसके लिए उनको आवश्यकतानुसार अग्निशामक उपकरण उपलब्ध करवाये जावेंगे।

7.2 **<u>ट्रेलर पंप पार्टी</u>** – छोटी जगह पर अग्निशमन कार्य हेतु नागरिक सुरक्षा में प्रति 50,000 की जनसंख्या के आधार पर एक 09 सदस्यीय ट्रेलर पम्प पार्टी का गठन किया जावेगा, जिसमें

निम्नानुसार नागरिक सुरक्षा के 09 स्वयंसेवक सदस्य होते हैं – लीडर – 01, फायरमैन – 06, वाहन चालक – 01 एवं संदेशवाहक – 01 इत्यादि।

7.3 नागरिक सुरक्षा अग्निशमन सेवा – बडी आग पर नियन्त्रण के लिए जिले में नागरिक सुरक्षा अग्निशमन सेवा के साथ ही नगरीय निकाय की फायर–बिग्रेड कार्यरत हैं।

8. <u>प्रशिक्षण सेवा (Training Service)</u> – किसी भी प्रकार के कार्य योजना की सफलता क्रियात्मक रूप तभी ले सकती है जब उन योजनाओ पर कार्य करने वाले व्यक्ति विधिवत प्रशिक्षित/जानकारी प्राप्त किये हुए हों। नागरिक सुरक्षा कार्यो में कुछ कार्य तकनीकी आधार पर सम्पादित किये जाते हैं, जैसे अग्निशमन, बचाव कार्य, घटना स्थल पर सर्वेक्षण दल का कार्य, प्राथमिक चिकित्सा दल का कार्य, संचार इत्यादि। नागरिक सुरक्षा सेवाओं के अन्तर्गत जनता के हित में जनता के द्वारा होने वाले कार्य में आपसी समन्वय, अनुशासन एवं राष्ट्रीय भावना की आवश्यकता होती है। नागरिक सुरक्षा में संबंधित क्षेत्र इच्छुक सेवा भावी एवं कुछ तकनीकी जानकार व्यक्तियों का चयन कर उन्हें नागरिक सुरक्षा का बुनियादी व सेवा प्रशिक्षण दिया जाता है।

8.1 <u>नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण के उद्धेश्य</u>

- नागरिक सुरक्षा सेवाओं के लिए आम जन मे सही सेवाभावी व्यक्तियों का चयन करना।
- चयनित आम जन को शान्तिकाल एवं युद्व के समय नागरिक सुरक्षा कार्यो का विस्तृत प्रशिक्षण देकर स्वयंसेवक चिन्हित करना।
- स्वयंसेवको को उनके कर्तव्यों व जिम्मेदारियों की जानकारी देना।
- स्वयंसेवकों द्वारा आम जनता मे अपेक्षित अनुशासन, संगठन की भावना उत्तपन्न कराना ताकि नागरिक, नागरिक–सुरक्षा के लिए सदस्य के रूप मे सामंजस्य से काम कर सकें।
- प्रशिक्षण कार्यो को शान्ति काल में उपयोगी बनाना ताकि आमजन अच्छे नागरिक के साथ–साथ नागरिक सुरक्षा के लिए स्वयंसेवक भी बन सके।
- स्वयंसेवकों को कर्तव्य निभाने के लिए अभ्यास कराना, तकनीकी जानकारी देना एवं नागरिक सुरक्षा की प्रक्रिया समझाना।
- स्वयंसेवकों की सहायता से नागरिकों में जन–जन तक स्वयं की सुरक्षा की जानकारी फैलाना।

8.2 <u>प्रशिक्षण की नीति</u>

जिला/नागरिक सुरक्षा ईकाइ स्तर पर	राज्य स्तर पर	राष्ट्रीय स्तर पर

बुनियादी प्रशिक्षण सेवा प्रशिक्षण सयुक्त प्रशिक्षण	• नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, राज. जयपुर • हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान, राज. जयपुर	• राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय/राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अकादमी, नागपुर • केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, नागरिक सुरक्षा व गृह रक्षा, बैंगलोर • राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन संस्थान (NIDM), दिल्ली
नॉट :– इसके साथ ही पुनश्चर्या प्रशिक्षण भी प्रतिपादित होना आवश्यक है ताकि नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक पहले प्राप्त प्रशिक्षण को भूले नहीं व नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबन्धन संबंधित कार्यों का अपडेशन हो सके।		

9. <u>हताहत (चिकित्सा) सेवा (Casualty Service)</u> – हवाई हमले/आपदा व विपदा की स्थिति में जनता का मनोबल बनाये रखने के लिए हताहतों को तुरन्त चिकित्सा सहायता के तहत प्राथमिक उपचार देना, उन्हें नजदीकी अस्पताल भिजवाना, उनके परिवार को जानकारी देना व हताहतों का मनोबल बनाये रखना अतिआवश्यक है। इसके नागरिक सुरक्षा संगठन में चिकित्सा सेवा (हताहत सेवा) का गठन किया गया है। नागरिक सुरक्षा हताहत सेवा निम्नानुसार कार्य करती है :–

9.1 **<u>स्थाई प्राथमिक चिकित्सा पोस्ट</u> –** नागरिक सुरक्षा सामान्य सिद्धान्त 2003 के अनुसार प्रथम दो लाख के लिए 20,000 जनसंख्या पर 01 पोस्ट के हिसाब से व दो लाख से अधिक आबादी की स्थिति में प्रति 40,000 जनसंख्या पर 01 पोस्ट के हिसाब से स्थाई प्राथमिक चिकित्सा पोस्ट बनायी जावेंगी। उक्तानुसार प्रति पोस्ट पर प्रति पारी के लिए जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा नामित निम्नानुसार निर्धारित स्टाफ निम्नानुसार होगा :– डॉक्टर – 01, नर्स – 01, नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की 04 सदस्यीय प्राथमिक उपचार दल – 03, लिपिक – 01, सफाईकर्मी – 01 एवं संदेशवाहक – 01 इत्यादि होगा।

9.2 **<u>प्राथमिक चिकित्सा दल (नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक)</u> –** नागरिक सुरक्षा सामान्य सिद्धान्त 2003 के अनुसार तीन दल प्रति स्थाई फस्ट एड पोस्ट के आधार पर (एक दल प्रति शिफ्ट हेतु) गठन किया जाता है। नागरिक सुरक्षा प्राथमिक उपचार दल के सदस्य – लीडर – 01, प्राथमिक उपचार कर्ता – 03, वाहन चालक – 01 मय एम्बूलेंस के गठित किया जावेगा।

9.3 **<u>मोबाईल प्राथमिक चिकित्सा पोस्ट</u> :–** नागरिक सुरक्षा सामान्य सिद्धान्त 2003 के अनुसार प्रति 06 लाख की जनसंख्या के आधार/आवश्यकतानुसार 01 मोबाईल प्राथमिक चिकित्सा पोस्ट गठित की जा सकेंगी। उक्तानुसार प्रति पोस्ट पर प्रति पारी के लिए जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा नामित निम्नानुसार निर्धारित स्टाफ निम्नानुसार होगा :– डॉक्टर – 01, नर्स – 01, प्राथमिक उपचारकर्ता – 01, वाहन चालक – 01 एवं सफाईकर्मी – 01 इत्यादि होगा।

9.4 **अस्पताल सेवायें** :–आपातकाल में घायलों को सही समय पर उच्चस्तरीय इलाज देना आवश्यक हो जाता है। नागरिक सुरक्षा सामान्य सिद्धान्त 2003 के अनुसार प्रति 750 नागरिक सुरक्षा व्यक्ति के लिए एक बिस्तर के अनुसार योजना बनायी जावेगी।

10. बचाव सेवा (Rescue Service) – मानवीकृत/प्राकृतिक आपदाओं व हवाई हमलों की स्थिति में क्षतिग्रस्त/ध्वस्त हुए भवनों में फंसे/मलबे में दबे हताहतों को खोज व बचाव के तरीकों से बाहर निकालनें तथा उनमें से कीमती सामान को निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर रखने इत्यादि कार्य किया जाता हैं।

10.1 **बचाव कार्य –** हवाई हमले एवं अन्य आपदाओं के दौरान क्षतिग्रस्त भवनों में बचाव कार्य उक्त भवनों तकनीकि (भवनों की बनावट से सम्बधित) पर निर्भर है। उक्त भवनों से बचाव कार्यों के दौरान राज्य का सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास निर्माण से संबंधित इंजीनियर, लेबर एवं भारी मशीनरी की सेवायें अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। अतः नागरिक सुरक्षा बचाव सेवा के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग के जिले में उपलब्ध अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाषी अभियंता को इस सेवा को प्रभारी बनाया जाना चाहिए। नागरिक सुरक्षा बचाव दल के स्वयंसेवक सदस्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों की देख रेख में प्रभावी बचाव कार्यों को करने में सक्षम हैं।

10.2 **बचाव दल का गठन –** जिले में बाहरी बचाव दलों के घटना स्थल पर पंहुचने से पूर्व स्थानीय स्तर पर किये जाने वाले खोज व बचाव कार्यों के लिए, **प्र**ति **5**0,000 की जनसख्या के आधार पर आपदा व बचाव कार्यों में प्रशिक्षित नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के एक 08 सदस्यीय बचाव दल का गठन किया जाता है, जिसमें निम्नानुसार सदस्य होंगे – लीडर –01, बचाव कर्ता –06, वाहन चालक – 01 मय वाहन इत्यादि।

11. निस्तारण सेवा (Salvage Service) – नागरिक सुरक्षा का उद्वेश्य जान माल के नुकसान को कम से कम होने देना है। इसमें सफलता तभी मिलेगी जब दुर्घटना के बाद लावारिस सामान/वस्तुओं को उपयोगी जानकर संगठन के दल द्वारा अपनी अभिरक्षा में लेकर सुरक्षित रख लिया जावे।

हवाई हमले/आपदा की स्थिति में, सूचना के बाद कई परिवार अपने घरों को बन्द कर अन्यत्र चले जाते हैं। हवाई हमले/आपदाओं की स्थिति में से कई मकान ध्वस्त हो जाते हैं व मकानों में रहने वाले घायल हो जाते हैं। घायलों को अस्पताल भेज दिये जाते हैं। कई मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। दुर्घटना क्षेत्र के परिवारों के रिश्तेदार समय की नाजुकता के कारण दुर्घटना स्थल पर नहीं जा सकते हैं। ऐसे में मकान बन्द व सूने रहते हैं। उन्हे बिना सुरक्षा के छोडने से असामाजिक तत्वों को अपना कार्य करने का मौका मिल सकता है। नागरिक सुरक्षा संगठन द्वारा आपदा के समय इस समस्या से निपटने के लिए पूर्व में ही प्रबन्धन करने के लिए, निस्तारण सेवा

का गठन किया जाता है। इसका मुख्य कार्य नामांकित सदस्यों की सहायता से लावारिस सामान को अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखवाना है।

11.1 **<u>निस्तारण सेवा के कर्तव्य</u>** :– हवाई हमले तथा आपदा/विपदा एवं घटना/दुर्घटना की स्थिति में क्षतिग्रस्त भवनों में दबे/लावारिस सामान/वस्तुओं को उपयोगी जानकर संगठन के दल द्वारा जिला प्रशासन की अभिरक्षा में सुरक्षित रखा जावेगा। निस्तारण सेवा के मुख्य कर्तव्य निम्नानुसार हैं :–

- सूने, ध्वस्त, क्षतिग्रस्त मकान जिनके मालिक मौजूद नहीं हैं, उन मकानों में से कीमती, उपयोगी वस्तुओं को सुरक्षित निकालना।
- अभिरक्षित वस्तुओं का उचित सुरक्षित भण्डारण करना।
- प्राप्त की गई वस्तुओं का स्पष्ट लेखा जोखा रखना।
- मालिक/वारिस की उचित पहचान के बाद नियमानुसार वापिस सामान को सुपुर्द करना।

नोट :– घटना स्थल से प्राप्त कीमती सामान को जिला प्रशासन द्वारा राजकीय कोष या अन्यत्र अभिरक्षा में रखे जाने की समुचित व्यवस्था की जावेगी।

12. **पूर्ति सेवा (Supply Service) –** नागरिक सुरक्षा संगठन की क्रियाऐं, प्रक्रियाऐं आपातकालीन समय मे कई दिशाओ में भिन्न–भिन्न कार्यो के लिए होती है, जैसे –आगजनी, मलबे मे फंसे व्यक्त्यिों को निकालना, घायलों का प्राथमिक उपचार करना, हवाई हमले की सूचनाऐं देना, बेघर लोगों को राहत प्रदान करना आदि। इन कार्यो के लिए विभिन्न तकनीकि/साधारण सामान आदि की आवश्यकता होती है, जिनके प्रबन्धन की योजना पहले से ही तैयार करना आवश्यक है। इसके साथ ही बेघर लोगों के लिए स्थापित आश्रय स्थलों पर खाने–पीने के सामान की भी पूर्ति करना होता है। इसके लिए जिले में जिला रसद अधिकारी को नागरिक सुरक्षा पूर्ति सेवा का प्रभारी बनाया जाना उचित होगा।

13. <u>डिपो एवं परिवहन सेवा (Depot & Transport Service)</u>

13.1 **<u>डिपो सेवा</u>** – हवाई हमले/आपदा व विपदा की स्थिति में घटना स्थल पर नियंत्रण व तत्काल नागरिक सुरक्षा की सेवाओं को भेजे जाने के लिए उक्त सेवाओं को मय आवश्यक उपकरण व वाहनों के किसी एक निश्चित स्थान पर एकत्रित रखना, जहां से नियंत्रक (जिला

कलक्टर) नागरिक सुरक्षा के निर्देशानुसार घटना स्थलों पर भिजवाना होता है, इसके लिए प्रति 06 लाख की जनसंख्या/प्रति उपखण्ड स्तर पर 01 नागरिक सुरक्षा डिपो बनाया जावेगा। डिपो में नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवक तीन पारियों में उपलब्ध रहते है, जहां उन्हें आवश्यक सुविधाऐं उपलब्ध कराई जाती हैं। स्वयंसेवकों के लिए सेवा वार उपकरण रखने की पर्याप्त व्यवस्था कराई जाती है। स्वयंसेवकों के मनोरजंन के लिए कुछ साधनों की व्यवस्था कराई जाती है। साथ ही स्वयंसेवकों को घटना स्थल तक लाने ने जाने के लिए समुचित वाहन डिपो में रहते हैं। डिपो के स्थान का चयन करते समय यह ध्यान मे रखा जाता है कि दुश्मन राष्ट्र के हमले के लिए टारगेट, आपदा से प्रभावित क्षेत्र, महत्वपूर्ण संस्थाओं के आस–पास डिपो स्थापित नहीं किया जावे।

डिपो मे उपलब्ध सेवायें – घटना पर तुरन्त नियन्त्रण करने हेतु विभिन्न कार्यो के दक्ष स्वयं सेवक सेवा वार डिपो में तीन पारी में उपलब्ध रहते है। डिपो में रहने वाली सेवाऐ निम्नानुसार है।

- प्राथमिक चिकित्सा दल मय वाहन
- बचाव दल मय वाहन
- अग्निशमन सेवा
- मोबाइल कैन्टीन सेवा
- मृतक निवारण दल मय वाहन
- साल्वेज टीम मय वाहन
- मोबाइल फर्स्ट एड पोस्ट मय वाहन
- स्थाई प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र के वाहन मय वाहन चालक
- घटना नियन्त्रण अधिकारी
- डिपो स्टॉफ
- यातायात सेवा का स्टॉफ
- सभी सेवाओं के लिए मैसिंग स्टॉफ

13.2 <u>ट्रान्सपोर्ट सेवा</u> – नागरिक सुरक्षा सेवाओं की कार्य कुशलता एवं गति युद्व/आपदा के दौरान स्वयंसेवको को तुरन्त घटना स्थल पर जनता की सहायता के लिए पहुंचने पर निर्भर करती है। यह कार्य उचित यातायात साधनों से संभव है। नागरिक सुरक्षा में ट्रान्सपोर्ट सेवा का गठन नागरिक सुरक्षा सेवाओं को समय पर वांछित भरोसेमन्द वाहन उपलब्ध कराने हेतु किया गया है। ट्रान्सपोर्ट सेवा के मुख्य कार्य :–

- नागरिक सुरक्षा के कार्यो हेतु विभिन्न प्रकार के वांछित वाहन उपलब्ध कराना।
- सभी उपलब्ध वाहनों को दुरूस्त रखना।
- सभी वाहनों में ऑयल, डीजल की नियन्त्रित व्यवस्था रखना।
- सभी वाहनों का नियमानुसार बीमा करवाना।
- वाहनों की मरम्मत का कार्य सही समय पर करवाना।
- वाहनों के आवगमन का रिकॉर्ड रखना।
- सेवाओं की आवश्यकतानुसार यदि वांछित वाहन उपलब्ध नही है तो नियमानुसार ढॉचे में अस्थाई परिवर्तन करना।
- इस प्रकार के वाहन प्राप्त करना जिनके मालिक अधिक से अधिक राष्ट्र सेवा हेतु योगदान देने को तत्पर है।

14. <u>मृतक निपटान सेवा (Corpse Disposal Service)</u> – हवाई हमलों/आपदाओं में कभी–कभी दुर्घटना स्थल पर अधिक संख्या में व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। घटना के समय व्यक्ति अपने बचाव के लिए चिन्तित रहते हैं व मृतकों को छोड़ अन्यत्र चले जाते हैं। जिला प्रशासन व नागरिक सुरक्षा सेवाओं के सामने मृतकों के मिलने के दो कारण होते हैं–

- सीधे दुर्घटना की चपेट मे सम्पूर्ण क्षेत्र का आ जाना।
- घटना के बाद व्यक्तियों का अपने बचाव के लिए दुर्घटना स्थल से सब कुछ छोड़कर चले जाना। इससे दुर्घटना स्थल के आसपास बच्चे, अपाहिज व्यक्ति, अशक्त वृद्व रह जाते हैं। ऐसी स्थिति मे जनता का मनोबल कम होने की पूर्ण संभावनायें रहती हैं और महामारी फैलने का अन्देशा रहता है।

मृतकों की पहचान एक बड़ी समस्या है, जिसके मुख्य कारण शरीर का विकृत होना, शरीर जल जाना, कुचल जाना, मलवे में दबा होना, बन्द मकान में अधिक समय तक रह जाना, मृतक का अन्य क्षेत्र से आकर वहां रहना आदि। ऐसे में सभी मृतकों की पहचान न होने के बाद भी अपने प्रयासों से धर्म निर्धारण कर धर्मानुसार अन्तिम संस्कार करना इस सेवा का मुख्य कार्य है। उक्त स्थिति से निपटने के लिए नागरिक सुरक्षा संगठन में घटना स्थल पर मृतकों के निवारण हेतु ''मृतक निवारण सेवा'' गठित की गई है। इस सेवा के कर्तव्य निम्नानुसार है :–

- घटना स्थल पर पूछताछ कर मृतकों की तत्काल पहचान करने का प्रयास करना।
- मृतकों का पंचनामा तैयार करवाना।

- प्रत्येक मृतक शरीर से मूल्यवान/पहचान के लिए आवश्यक वस्तु निकालकर उनका रिकॉर्ड रखते हुए संभाल कर रखना।
- प्रत्येक मृतक जिनके वारिस नहीं मिले की फोटो रिकॉर्ड मे रखना।
- मृतक की पहचान के लिए निम्नानुसार बिन्दुसार रिपोर्ट रखना :–

(अ) शव किस स्थान से प्राप्त हुआ।
(ब) शव के वस्त्र का विवरण।
(स) मृतक के लिंग, आयु, शारीरिक पहचान के चिन्ह, मृतक का रंग, आंखे का रंग, ऊंचाई आदि का विवरण।
(य) मृतक की ऊगलियों की छाप का रिकॉर्ड रखना।
(र) जिन मृतकों की पहचान नहीं की जा सकती है, के धर्म निर्धारण का विवरण।

15. <u>कल्याण सेवा(Welfare Service)</u> – आपदा/विपदाओं एवं हवाई हमले की स्थिति में प्रभावित लोगों को आवश्यक सहायता समय पर नहीं पंहुचने की स्थिति में आमजन अपने प्रशासन के प्रति विश्वास खोने लगता है और जनता के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है। लोग बेघर हो जाते हैं व उनका अपना सब कुछ नष्ट हो जाता है। परिवार के सदस्य बिछुड़ जाते हैं। इस प्रकार की महाविपतियों में पूरे समुदाय के जीवन को सामान्य बनाना ही प्रमुख कार्य रहता हैं ताकि आम जनता का मनोबल बना रहे। नागरिक सुरक्षा संगठन में इन कार्यो हेतु कल्याण सेवा का गठन किया गया है जिसके निम्नानुसार मुख्य कार्य है :–

- **सूचनाऐं एकत्रित करना** – प्रभावित लोगों की सही सूचना उनके संबंधियों देना अथवा आमजन में उपलब्ध कराई गई प्रशासनिक व्यवस्था की सूचना देना इत्यादि कार्य जिससे आमजन का मनोबल बना रहे।
- **बेघर लोगो का प्रबन्ध** – आश्रय स्थलों की स्थापना कर बेघर लोगों के रहने की व्यवस्था, उनके भोजन वस्त्रादि की व्यवस्था करना।
- **निष्क्रमण की स्थिति** – ऐसी स्थिति में जहां खतरे की दृष्टि से अधिक असुरक्षा है उस क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित स्थान पर व्यवस्थित तरीके से ले जाने के लिए तथा मार्ग में गन्तव्य तक भोजन, पानी, औषधी, वस्त्र आदि तथा आवाजाही की सहायता प्रदान करना।

15.1 <u>कल्याण सेवा के कार्य</u>

(अ) सूचना एवं प्रसार :– सूचना केन्द्र को पूर्ण रूप से सूचित बनाये रखने के लिए स्थानीय पुलिस विभाग, थाने, चौकियों, अस्तपताल, वार्डन पोस्ट, फर्स्ट एड पोस्ट को

निर्देश जारी कर संबधित क्षेत्र की पूर्ण जानकारी सुचना केन्द्र में उपलब्ध रखी जावेगी। सभी सूचना केन्द्र अपनी सूचनाऐं मुख्य सूचना केन्द्र को देंगे।

- हवाई हमले से पहले व बाद में नागरिक सुरक्षा द्वारा किये गये सभी प्रकार के कार्यो की व्यवस्था की जानकारी जनता में देना ।
- हवाई हमले के बाद की सही स्थिति से जनता को अवगत कराना, घायल व मृतकों की जानकारी प्राप्त की सूची उपलब्ध रखना तथा जनता को जानकारी देते रहना।
- विभिन्न शिविरों तथा केन्द्रों की सूचना प्रसारित करना।

(ब) प्रसारण वाहन – आपातकाल में सूचनार्थ लेने–देने के कार्य त्वरित गति से किए जाने हेतु प्रत्येक सूचना केन्द्र पर प्रसार वाहन उपलब्ध कराया जावेगा।
(स) आश्रय स्थल – आपातकाल में बेघर लोगों के अस्थाई निवास हेतु शहर की शालाओं, धर्मशालाओं को नागरिक सुरक्षा कार्यो हेतु अधिग्रहित किया जाकर जनता के लिए सुविधा मुहैया कराई जाती है। जब बडे पैमाने पर लोग घर छोड़कर जाने लगते हैं तो आश्रय स्थल की व्यवस्था करनी पड़ती है।
(द) आपातकाल भोजन केन्द्र – प्रत्येक केन्द्र पर इसके लिए भोजन सामग्री की व्यवस्था बनाये रखने के लिए दुकानों/संस्थानों को चिन्हित किया गया है ताकि दुर्घटना स्थल पर भोजन सामग्री की काला बाजरी मुनाफाखोरी रोकी जा सके। इसके अतिरिक्त आश्रय स्थल पर भोजन बनाने के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

(य) मोबाइल कैन्टीन – दुर्घटना स्थल पर नागरिक सुरक्षा कार्य कर्ताओं व पीड़ित आमजन के लिए अस्थाई नाश्ते/भोजन के लिए मोबाइल कैन्टीन की व्यवस्था कराई जावेगी। मोबाइल कैन्टीन एक लाख जनसंख्या पर एक के हिसाब से उपलब्ध कराई जावेगी। इसके लिए निम्न स्टॉफ स्वयं सेवक उपलब्ध कराये जावेगे :–

सुपरवाइजर	–	1 प्रति कैन्टीन
सहायक	–	3 प्रति कैन्टीन
वाहन चालक	–	1 प्रति वाहन

(र) हाउसिंग एवं बिलेटिंग :– हाउसिंग एवं बिलेटिग एक लाख जनसंख्या पर 01 से गणना कर संधारित किये जाते हैं।

ओवरसीयर (हाउसिंग ऑफिसर)	1 प्रति सैन्टर
लिपिक	1 प्रति सैन्टर
सन्देश वाहक	1 प्रति सैन्टर

(ल) आपातकालीन वस्त्रादि व्यवस्था – बेघर लोगों की शरण स्थल में मौसम के अनुसार सभी आयु वर्ग हेतु पहनने, ओढ़ने के लिए वस्त्रादि उपलब्ध कराने पड़ सकते हैं। अतः इस हेतु अभियान चलाया जाकर पर्याप्त वस्त्रादि उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जाती है। साथ ही शान्तिकाल में स्वयंसेवी संस्थाऐं जो वस्त्रादि एकत्रित कर वितरण का कार्य करती है, का सहयोग पूर्णरूपेण लिया जावेगा।

भाग – IV

16. **निष्क्रमण (Evacuation)** – नागरिक सुरक्षा योजना का महत्वपूर्ण भाग निष्क्रमण 'Evacuation' है, जो कि अपने आप में एक सम्पूर्ण योजना है। निष्क्रमण की कार्यवाही अति आवश्यक होने पर ही की जानी चाहिए। आम जनता खतरे के स्थान से सुरक्षित स्थान की ओर मय कीमती सामान, पशु, वाहनों तथा परिवारजनों के साथ पहुंचना अथवा सरकार द्वारा सुव्यवस्थित तरीकों से पहुंचाना निष्क्रमण है। निष्क्रमण के प्रकार :– संकट से पहले व संकट से बाद।

16.1 **संकट से पहले** – संकट से पहले निष्क्रमण की सूचना शहर के जिन–जिन भागों से निष्क्रमण कराया जाना है जिला प्रशासन द्वारा इसकी सूचना वहां के निवासियों अवश्य दी जायेगी। प्रशासन द्वारा उस भाग में यह आदेश प्रसारित कराने होंगे कि किस भाग से, किस प्रकार, किस भाग के लिए निष्क्रमण किया जावेगा, वहॉ क्या–क्या सुविधाऐं उपलब्ध रहेंगी।

16.2 **संकट के बाद** – घटना घटित होने के बाद दुर्घटना की स्थिति अनुसार सम्बन्धित स्थान की निष्क्रमण योजना तत्काल बनाई जाकर प्रक्रिया अपनाई जावेगी।

16.3 नियन्त्रक (कलक्टर) स्थिति को मध्ये नजर रखते हुए निर्णय करेंगे कि अमुक–अमुक स्थान से जन जीवन को अल्पावधि के लिए कैम्प में ले जाना होगा। उसके बाद नागरिक सुरक्षा से संबधित धाराओं का प्रयोग करते हुए नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के तहत नागरिक सुरक्षा नियम 1968 की धारा 6 के अंतर्गत निष्क्रमण के आदेश प्रसारित करेगें तभी कैम्प की प्रक्रिया प्रारम्भ होगी। कैम्प स्थल पर सामाजिक संस्थाऐं नियन्त्रक (जिला कलक्टर) की लिखित सहमति प्राप्त करने पर ही कार्य करने के लिए सक्षम होंगी। निष्क्रमण के समय आने वाली समस्याऐं निम्नानुसार हैं :–

- जनता को पता नहीं होता है कि पलायान किस ओर करना है।
- जनता घबराहट में भगदड़ मचाकर गलत, खतरनाक व बिना सुविधा वाले रास्तों पर जा सकती है, साथ ही आवश्यक सेवाओं के आने–जाने में अवरोधक बन सकती है।
- वे आमजन जो स्वयं के वाहनों से घर बार छोड़कर निकल जाते हैं जानकारी के अभाव में सही गन्तव्य तक नहीं पहुच सकते, भगदड से पुलिस प्रशासन की दुविधा बढती है। यातायात धीमी गति, अधिक भीड व तेज गति से चलने वाले वाहन व पशुओ द्वारा बाधक हो सकता है।
- असामाजिक तत्व बढ सकते है।
- सामाजिक परिवार जन आपस में बिछुड सकते है, विशेषतः बच्चो का गुम हो जाना।
- मूलभूत सुविधाओं की कमी होना व उसकी व्यवस्था करना।

16.4 **रास्ता** – निष्क्रमण कराने के लिए आमजन में पी.आर.ओ द्वारा माइक पर कैम्प स्थलों पर एकत्रित होने की सूचना दी जावेगी, ताकि आमजन को निष्क्रमण हेतु एक स्थान पर एकत्रित कर साधनों द्वारा गन्तव्य तक पहुचाया जा सके। इसके लिए हवा के विपरीत दिशा वाला रास्ता अपनाया जाना चाहिये।

16.5 **चैक पॉइन्ट कार्य** – स्थानीय प्रशासन द्वारा निष्क्रमण की सूचनाऐं एकत्रित करने, सरकार को सूचनाऐं देने जिसमें वाहन मय जनता के अपने निर्दिष्ट की ओर बढ रहें है व किसी प्रकार की समस्या है/नहीं है आदि सूचना एकत्रित करने के लिए चेक पॉइन्ट बनाये जावेंगे। सभी चैक पाइन्टों पर साधारण जल पान की दुकानों की व्यवस्था की जावेगी। मेडिकल सहायता प्रदान कराई जावेगी दवा की दुकानों की व्यवस्था की जावेगी। इसके लिए स्वास्थ अधिकारियों को सूचित किया जावेगा।

16.6 **प्रभारीगण** – कैम्प में एकत्रित स्थान से आमजन को प्रभारी निष्क्रमण वाहनों द्वारा/रेल द्वारा रवाना करेगें। प्रभारीगण कैम्प स्थल का सम्पूर्ण लेखा जोखा रखेगें। सूचना के लिए माइक बैटरी सहित, रात्रि में प्रकाश व्यवस्था, टैण्ट आदि की सम्पूर्ण व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन/स्वयंसेवी संस्थाओ से सहयोग प्राप्त कर करेंगे। कैम्प की सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रभारी की होगी। उपरोक्त कैम्प अधिकारियों के कार्य क्रमवार निम्नाकित है :–

- **कैम्प कमान्डैन्ट** :– कैम्प की सम्पूर्ण व्यवस्था कैम्प कमान्डैट करेंगे। वित व्यवस्था की जिम्मेदारी, उच्चाधिकरियों से तालमेल रखना।
- **डिप्टी कैम्प कमान्डैन्ट** :– कैम्प कमान्डैन्ट के आदेशों की पालना में कैम्प की सम्पूर्ण व्यवस्था योजना बानाना। कैम्प में जनता के रहने, सोने, खाने इत्यादि सुविधाओं की व्यवस्था योजना बनाना। कैम्प में जनता के रहने वालों की नामावली तैयार कर रिकार्ड संधारित करना, कैम्प के वाहनों की लॉग बुक का संधारण करना, उच्चाधिकारियों को सूचित रखना। इसके लिए दो नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक जिन्हें लिपिकीय कार्य आता हो, उपलब्ध रहेंगे । लिपिक कैम्प के सम्पूर्ण लिपिकीय कार्य करेंगे।
- **लेखाधिकारी** :– कैम्प के मद में होने वाले आय व्यय का सम्पूर्ण ब्यौरा रखना एवं समय–समय पर उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत करना।
- **वैलफेयर व सप्लाई अधिकारी** :– कैम्प में रहने वालों की भोजन व्यवस्था, जल व्यवस्था, सूचना व्यवस्था, वस्त्र/बिस्तर व्यवस्था, कैम्प आवास के लिए प्रकाश की समुचित व्यवस्था मय अल्टरनेट व्यवस्था आदि कार्यो की जिम्मेदारी होगी। इनके कार्य क्षेत्र में कैम्प से संबधित सामान की आवक व्यवस्था रखने, कैम्प में सभी को आवंटित होने के लिए भोजन के कार्ड एवं राशन प्राप्त करना आदि होगे।

- **चिकित्सा सहायता** :– सी.एम.एच.ओ. द्वारा कैम्प स्थल के लिए एक फिजीशियन, एक कम्पान्डर व एक सहायक नर्स निरन्तर उपलब्ध कराए जायेंगे। कैम्प में प्राथमिक चिकित्सा दवाएं सदैव उपलब्ध रहेंगी।

16.7 **विधुत कार्य** – कैम्प स्थल पर विधुत से संबधित कार्य विधुत विभाग को आंवटित होगे। संबंधित विभाग के सहायक अभियन्ता कैम्प स्थल के विधुत प्रभारी रहेगे। कैम्प स्थल के लिए एक जनरेटर प्रशासनिक/जन सहयोग से प्राप्त कर उपलब्ध रखा जावेगा।

16.8 **जलदाय** – कैम्प स्थल पर पीने एवं नहाने के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी जलदाय विभाग को दी जाकर पूरी कराई जावेगी। किसी भी आपातकाल स्थिति में जन जीवन के आक्रोश से बचने के लिए राष्ट्रीय हित में आवश्यकता को देखते हुए अधिक लोगों को शहर से बाहर ले जाना/भेजना/पलायन करना पड सकता है ऐसी स्थिति में कैम्प कमाडैन्ट को कैम्प लगाने के लिए नियन्त्रक (जिला कलक्टर) द्वारा आदेश प्राप्त होंगे।

17. रिपेयर्स एण्ड डिमोलेशन्स – किसी भी स्थान पर हवाई हमलों अथवा अन्य मानवीकृत/प्राकृतिक आपदाओं के दौरान अधिक संख्या में भवन क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। इस प्रकार के क्षतिग्रस्त भवन अथवा क्षतिग्रस्त हिस्से यदि तुरन्त ठीक नहीं कराये जायें और उन्हे वैसे ही छोड़ दिया जाये, तो उनसे कई प्रकार के नुकसान हो सकते हैं, जो निम्नानुसार है :–

- अधूरे ढ़हे हुए मकान अथवा उनके हिस्से भी ढ़ह सकते हैं, इससे आस–पास में जानमाल का अधिक नुकसान हो सकता है।
- क्षतिग्रस्त मकान जो मरम्मत से ठीक हो सकते हैं, यदि उन्हे वैसे ही छोड़ दिया जाये तो, अधिक समय बाद वे मरम्मत के योग्य नहीं रहेंगे।
- क्षतिग्रस्त मकान रेलवे लाइनों, व्यवस्त सड़कों अथवा अन्य आवश्यक सेवाओं के भवनों के आसपास हैं, तो उनके अचानक गिरने से यातायात व आवश्यक सेवायें बाधित होंगी और दुर्घटना हो सकती है।
- क्षतिग्रस्त मकान मरम्मत के अभाव में वैसे ही रहने दिया जाये, तो जन मानस में घटना की भयानकता का अहसास निरन्तर बना रहता है एवं उनके मनोबल पर विपरीत असर होता है। जन मानस अपने प्रशासन के प्रति विश्वास खोने लगते है तथा शत्रु की महता स्वीकार कर सकते हैं।

17.1 **रिपेयर दल का गठन** – उपरोक्त बिन्दुओं को ध्यान मे रखते हुए, सड़कों की मरम्मत, मलबा हटाने के लिए एवं क्षतिग्रस्त मकानों को गिराने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग जिम्मेदार है कि वे अपने स्तर पर उपरोक्त कार्यो हेतु एक दल गठित कर उनके लिए आवश्यक साजो समान निर्धारण कर अपनी योजना नियन्त्रण (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा को भेजेंगे। इस दल में नागरिक सुरक्षा के सदस्य भी सम्मिलित होंगे। इस दल को

निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्य प्रारम्भ करने होंगे ताकि कार्य व्यवस्थित रूप से शीघ्र सम्पन्न हो सके :–

(क) क्षतिग्रस्त मकान (निजी/सरकारी/व्यावसायिक स्थान) की मरम्मत शीघ्रता शीघ्र कराना चाहिये। निजी मकान वाले अपने स्वयं के प्रयासों से मरम्मत करना चाहें और उन्हें रिपेयर मैटैरियल की आवश्यकता होवे तो उनकी मांग पर उन्हें सामान देना पड़ सकता है। सरकारी भवनों की मरम्मत हेतु अधिक मात्रा में सामान रिजर्व रखना होता है।

(ख) रिपेयर दल केवल आवश्यक मरम्मत करेंगे, मकान में भीतरी सजावट अथवा कोई अतिरिक्त सुविधा नही बनायेगें, यह बात विशेष ध्यान मे रखी जानी चाहिए।

(ग) मरम्मत तभी की जावेगी यदि :–

- क्षतिग्रस्त मकान का वास्तव मे आवासीय उपयोग हेतु काम मे लिया जाना है।
- क्षतिग्रस्त मकान की मरम्मत के बाद उसमे परिवार जन आवास हेतु आने वाले हैं।
- क्षतिग्रस्त मकान कम मरम्मत में रहने योग्य बन सके।
- क्षतिग्रस्त मकान के रहवासी मरम्मत भार नही उठा सकते हों तो मरम्मत की सहायता की जावेगी।
- निजी एवं व्यवसायिक मकानों की मरम्मत उनके मालिकों द्वारा शान्ति कालीन व्यवस्था मे जैसे करवाते हैं वैसे ही कारवाई जावेगी।
- उनके गिरने से अन्य भवन, यातायात/रेल्वे/अस्पताल प्रभावित होते है।

17.2 **सड़कों की मरम्मत तथा मलबा हटाना** – घटना स्थल के आस पास सड़क पुलिया, रेलवे पुल, रेलवे लाईन आदि क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। इन स्थानों को पुनः आवागमन योग्य बनाने हेतु एक दल का गठन किया जावेगा। साथ ही सड़क/रास्तों पर एवं पुलियाओं/मकानों के गिरने से फैला हुआ मलबा भी हटाने का कार्य करेगा।

17.3 **मकानों को गिराना** – क्षतिग्रस्त मकान जो किसी भी प्रकार की मरम्मत के योग्य नहीं है व कभी भी अपने आप साथ वाले भवन/सड़क/रेल लाइन पर अचानक गिर कर अधिक हानि कर सकते हैं। इस प्रकार के मकानों से दुर्घटना के अन्य कारण भी बन सकते हैं। अतः इन्हें गिराने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग एक दल बनाकर कार्य सम्पादित करया जावेगा।

18. **आवश्यक सेवाओं का रख रखाव** – निम्नलिखित आवश्यक सेवाओं के विभागाधिकारियों द्वारा प्रत्येक के लिए मरम्मत दल नागरिक सुरक्षा नियन्त्रण कक्ष के लिए नामांकित कर आपात काल में उपलब्ध कराये जायेंगे।

- दूर संचार विभाग के बाहरी लाइन मैन।
- जलदाय विभाग के पाइप लाइन पर कार्य करने वाले।
- विधुत विभाग के लाइन मरम्मत करने वाले।
- नगर निकाय द्वारा सफाई कर्मी।
- सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा गठित रिपेयर दल।

19. पशुओं की देखभाल – आम दिनों में भी पशु आवारा घुमते रहते हैं तो हवाई हमला व अन्य आपदाओं की स्थिति मे पशुओं की देखभाल पर अधिक ध्यान रखना होगा। आपदा/विपदा के बाद पशु घायल अवस्था/मृत अवस्था मे मिल सकते हैं, पालतू पशु अपने बाड़े से निकल कर भागने लगते हैं, यहा तक कि आवारा पशु एवं जगली जानवर ज्यादा डरावनी आवाजें निकालकर, अपने बचाव के लिए बेतहाशा भागते हैं। इससे मनुष्यों के अधिक घायल होने का अन्देशा रहता है। पशु अपने बचाव के लिए हमला बोल सकते हैं। अतः नागरिक सुरक्षा योजना में पशु पालन विभाग द्वारा निम्नानुसार बिन्दुवार योजना बनाकर कार्य कराया जाना आवश्यक है :–

- आपातकाल में पशु नियंत्रण, दाना चारा नियन्त्रण व्यवस्था जिला पशु पालन विभाग की होगी।
- पशु पालन विभाग द्वारा शहर के सुरक्षित क्षेत्र में स्थान निश्चित कर दुधारू पशुओं के मालिकों को उन पशुओं को निश्चित स्थानों पर रखने की व्यवस्था के लिए आदेश प्रदान करेंगे।
- गम्भीर घायल जानवरों के इलाज की व्यवस्था करेंगे।
- मृत पशुओं का निपटान उचित विधि से करवायेंगे, ताकि महामारी नहीं फैल सके।
- आपातकाल में दवाओं की व्यवस्था, स्टोर रखने की व्यवस्था, कार्य के लिए आवश्यक सामान व उनकी भण्डारण की व्यवस्था, कर्मचारियों के कार्यों का बंटवारा कर उनको निर्देशित करने की व्यवस्था इत्यादि जिला पशु पालन अधिकारी द्वारा शान्ति काल में योजना तैयार की जावेगी।
- पशुओं की देखभाल योजना बनाने मे आपातकालीन समय मे उपरोक्त बिन्दुओं पर क्रियान्वयन करने के लिए पशु पालन विभाग द्वारा अपने स्तर पर दलों का गठन करेगा। जिससे घायल जानवरों को चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सकेगी व साथ ही मृतक पशुओं को हटाकर महामारी से बचाव किया जा सकेगा। इस हेतु नागरिक सुरक्षा विभाग जिला पशु पालन विभाग से योजना प्राप्त कर अपने पास रखेगा।

20. <u>प्रकाश नियन्त्रण</u> – इतिहास मे पिछले युद्धों में देखने में आया है कि शत्रु द्वारा हवाई हमला ज्यादातर रात्रि में ही किये गये हैं। इसके मुख्य दो कारण है – पहला ''रात्रि के अन्धकार मे शत्रु के विमानों पर मार करना अत्यन्त कठिन कार्य होता है, इससे शत्रु को उद्वेश्यपूर्ति के लिए समय मिल जाता है''। दूसरा ''सांयकाल/रात्रिकाल में जनजीवन के भोजन/सोने का समय होता है। अतः दुश्मन राष्ट्र को अपने उद्वेश्य की पूर्ति के लिए जनजीवन को अधिक से अधिक अस्त–व्यस्त करने का अवसर मिल जाता है''। शत्रु राष्ट्र के विमानों को हमले करने से रोकने के लिए वायु सेना ने अपने अत्याधुनिक हथियार तैयार कर तैनात किये होते हैं फिर भी शत्रु अपने उद्वेश्य की पूर्ति के लिए शहरी सीमा की ओर बढते हुए बम वर्षा करने में सफल हो सकते हैं। शत्रु के विमानों को शहर की विधुत व्यवस्था उॅचाई से उसके उद्वेश्य बिन्दु (टारगेट) तक जाने में अधिक सहायक होती है। उपरोक्त कारणों के आधार पर एक राष्ट्र प्रकाश नियन्त्रण की व्यवस्था से दुश्मन राष्ट्र के उद्वेश्यो की पूर्ति मे बाधक बन सकता है। प्रकाश नियत्रणं व्यवस्था को निम्नानुसार दो भागो में विभाजित किया गया है।

- सम्पूर्ण ब्लेक आउॅट करना जिसमें ऊॅचाई से व नजदीक से बाहर किसी प्रकार की प्रकाश की प्रकाश किरणें दिखाई नहीं दें।
- प्रकाश की मात्रा वोल्टेज के नियत्रण से उसके फैलाव एवं चमक की रेट को कम किया जाना।

20.1 <u>भवन की प्रकाश व्यवस्था</u>

- भवन/घर की प्रकाश व्यवस्था घर से बाहर दिखाई नही देनी चाहिए।
- प्रकाश व्यवस्था के लिए खिड़कियों/दरवाजों पर जो कॉच के होते है गहरे भूरे रंगे के कागज लगाने चाहिए। गत्ते/अखबारों से भी ढक सकते हैं।
- भवन/घरों के बाहर छत पर बल्ब नही लगायें, की व्यवस्था होनी चाहिए।
- भवन/घरों मे संध्या समय के बाद कम दर की विधुत व्यवस्था की जानी चाहिए।
- भवनों/घरों में कार्य अधिक से अधिक संध्या पूर्व निपटा लेना चाहिए ताकि कम प्रकाश व्यवस्था माकूल बनी रहे।

20.2 <u>सड़क पर प्रकाश व्यवस्था</u>

- सड़क पर लगी लाइटों को कम बोल्टेज मे फैलाने की व्यवस्था।
- सड़क पर लगी ट्यूब लाइट आदि को कम संख्या में लगाकर व्यवस्था बनाये रखना।
- खम्भों पर लगे बल्ब/ट्यूब लाइट पर शैड का प्रयोग किया जाना चाहिए।

20.3 वाहनों की प्रकाश व्यवस्था

- चोपहिया वाहन :– किसी भी वाहन की सीधी रोशनी वाली लाइट के गिलास को दो भागों में उपर नीचे करते हुए निचले आधे हिस्से पर एक परत पतले भूरे पेपर की लगाना और उपरी आधे भाग पर दो पेपर भूरे लगाने चाहिए।
- रेलगाड़ी – रेल की हैड लाइट का एक तिहाई भाग भूरे पेपर से ढक कर कम दर की विधुत का इस्तेमाल करना चाहिए। यात्रियो के डिब्बो मे विधुत व्यवस्था के लिए कम वोल्टेज के बल्ब प्रकाशित होन चाहिए। खिडकी के कॉच गहरे भूरे कागज/रंग से अपारदर्शी किये जाने चाहिए।
- दुपहिया/तिपहिया वाहनों की हैड लाइट एक तिहाई काले रंग की होनी चाहिए। बाजार में साइन बोर्ड की प्रकाश व्यवस्था को नियत्रंण मे रखना अवाश्यक है, इस हेतु स्थिति अनुसार नियत्रंक (कलक्टर) व्यवस्था बनाये रखेगे।

भाग – V

21. <u>रासायनिक युद्व (Chemical Warfare)</u> – रासायनिक युद्व उत्प्रेरक रासायन के द्वारा फैलाया जाता है, जिसका सीधा हानिकारक प्रभाव मानव पेड–पौधे जीव जन्तुओं पर पड़ता है। इसमें उच्च रासायनिक गैसों जैसे टैबुन सरीन, मस्टर्ड चौकिन, बायोबैन्जिल साइनाइट एवं अन्य विषैली गैसों का प्रयोग किया जाता है। इन गैसों के द्वारा शत्रु राष्ट्र का मुख्य उद्वेश्य जनता का मनोबल गिराना, कामदारों को अस्थाई रूप से विकलांग बनाना, पेड़ पौधों एवं जीव जन्तुओं को दूषित कर खाद्यान्न संकट पैदा करना आदि होता है।

21.1 <u>रासायनिक गैसों का वर्गीकरण</u> :– रासायनिक युद्ध में प्रयोग में लाई जाने वाले गैसों की भौतिक और रासायनिक विशेषताएं

क.सं.	गैस	पहचान करने का तरीका	मानव शरीर पर पडने वाले प्रभाव
1.	**तांत्रिक** ● टैबुन : सायनो फास्फोरिक अम्ल की संजात होती है रंगहीन अस्तिर द्रव के रूप में होती है। ● सरीन : फ्लोओरों फॉस्फोरिक अम्ल की संजात होती है। रंगहीन, अस्थिर द्रव के रूप में होती है।	अत्यधिक मन्द फल जैसी गंध/सामान्यत गंध द्वारा पहचान नही होती पर रासायनिक परीक्षणों से पहचान हो जाती है। गंधहीन होती है, विशेष रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा पहचान की जाती हे।	देखने में परेशानी होती है। गला और छाती भारी हो जाती है। फेफडे का शोफ होना (लंग ईडीमा), नीलापन पसीना आना, अतिसार, मृत्यु होना।
2.	**व्रण गैस (बिलस्टर ग्रुप)** ● मस्टर्ड गैस,तेलिय द्रव के रूप में होती है। गहरे भूरे से लेकर हलके पीले रंग की होती है रबर, चमडे, कपडे लकडी में छेद कर देती है, चिर स्थायी होती है। क्लोरिन (अर्थात् – विरंजक चूर्ण) (ब्लिचिंग पाउडर) द्वारा आसानी से निष्प्रभावित हो जाती है।	लहसून प्याज या मूली या सरसों की गंध के समान गंध होती है।	वाष्पन, प्रभाव, आंखे जलने लगती है और सूज जाती है त्वचा लाल हो जाती है और उस पर फफोले पड जाते है खॉसी उठती है आवाज नही निकलती और बाद में श्वसनी शोध (ब्रॉन्काइटिस) या न्यूमोनिया हो जाता है द्रव प्रभाव आंखों पर तत्काल किसी प्रकार का प्रभाव नही पडता पर कुछ घण्टों में अति गंभीर लक्षण दिखाई पडने लगते है त्वचा दो घण्टे में लाल हो जाती है और फफोले 12 से 24 घण्टों में पडते है। **वाष्पन** : नाक, आंखों और फैफड़ों

	• लेविसाइट (आर्सेनिक योग) : शुद्ध रूप में होने पर रंगहीन द्रव की तरह होती है पर अशुद्ध रूप में होने पर भूरे रंग की होती है। एक अदृश्य गैस छोडती है। अत्यधिक प्रभावशाली और चिर स्थायी होती है पर पानी और अम्लों द्वारा आसानी से समाप्त हो जाती है।	जिरेनियम (फूलों) की गंध की तरह गंध होती है।	में क्षोभ उत्पन्न होता है। मस्टर गैस की तुलना में त्वचा को कम प्रभावित करती है। **द्रव** : आंखों पर तत्काल और गंभीर प्रभाव डालती है।मस्टर्ड गैस की तुलना में इससे त्वचा पर अधिक तेजी से फफोले उत्पन्न हो जाते हैं।
3.	**श्वास रोधी गैसे** • फॉस्जीन : प्राय : अदृश्य गैस होती है, धातुओं को संक्षारित करती है। चिरस्थायी नही होती। • डाइफॉसजोन : रंगहीन द्रव्य के रूप में होती है। अर्द्धस्थायी होती है। • युक्सोरीन : हरे रंग की गैस होती है, धातु को संक्षारित करती है, चिर स्थायी नही होती। • क्लोरोपिक्रिन : रंगहीन होती है, वाष्शील द्रव के रूप में होती है, अर्द्ध स्थायी रूप में होती है।	गीली घांस के सडने की गंध की तरह गंध होती है। धूम्रपान अरूचिकर हो जाता है। फॉस्जीन की तरह इसकी पहचान की जाती है। विरंजक चूर्ण (ब्लीचिंग पाउडर) की गंध की तरह गंध होती है। तीखी गंध होती है।	जीवन के लिए अत्याधिक हानिकारक होती है। पहले प्रभावों में खॉसी उठती है, ऑसू निकलते रहते है, छाती में दर्द होता है, वसन में कठिनाई होती है। बाद में फुफ्फुस शोफ (पल्मोनरीईडीमा) हो जाता है। इसके प्रभाव 24 घण्टे में दिखाई पडने लगते है। फॉस्जीन की तरह प्रभावित करती है। इसके प्रभाव भी फॉस्जीन की तरह होते है पर अधिक होते है पर अधिक क्षोभ उत्पत्र करते है और कम जहरीलें होते है। इसके प्रभाव क्लोरीन की तरह होते है अधिक हानिकारक होते है।
4.	अश्रु गैस • के.एस.के : गहरे भूरे द्रव के रूपम मे होती है, गैसीय अवस्था मे अदृश्य होती है।चिर स्थायी होती है। • बी.बी.सी. (ब्रोमोबेन्जिल सायनाइड) : पीले भूरे क्रिस्टलो मे शुद्व रूप मे	प्रभावो द्वारा पहचान की जाती है। फल जैसी गंध होती है प्रभावो द्वारा पहचान की	सी.ए.पी.(नीचे उल्लेख किया गया है) की तरह प्रभावित करती है पर त्वचा पर इसका प्रभाव नही होता। इसके प्रभाव उपर्युक्त के.एस.के.की तरह होते हैं (जीवन को किसी प्रकार का खतरा नहीं होता)।

	होती है। लेकिन सामान्यतः भेरे द्रव मे चिरस्थायी रूप से प्रयोग मे लायी जाती है। • सी.ए.पी (क्लोरिन फेनॉन) इसके रगंहीन क्रिस्टल होते है, गैसीय अवस्था मे अदृश्य होती है, चिरस्थायी नही होती । • नासिका को प्रभावित करने वाली :डाइफेनाइल क्लोरसाइन (डी.ए) (डी.ए) (डी.एम.और डी. सी) सामान गैसे होती है। रगंहीन या चमकदार पीले क्रिस्टल होते है। गर्म किए जाने पर गंधहीन धुआ निकलता है। अदृश्य है, पास के स्थान को छोडकर, चिरस्थायी नही होती।	जाती है। तीखी चुभने वाली गंध होती है। प्रभावों द्वारा पहचान की जाती है केवल प्रभावों द्वारा पहचान की जाती है	आंखो मे जलन होती है, त्वचा पर काफी मात्रा मे तत्काल और गहरा क्षोभ होता है। छीके आती है, जलन होती है और छाती, गले, नाक और मसूड़ों मे दर्द होता है। बाद मे मानसिक दबाव होता है। लेकिन 5 मिनट में ही इसके प्रभाव होते है।

22. <u>जैविक युद्ध (Biological Warfare)</u>:– जैविक युद्ध में किसी शत्रु के लोगों को उसके पालतू और अन्य पशुओं को मारने, उन्हें विकलांग बनाने या उन्हें क्षति पंहुचाने के लिए या फसलों को नष्ट करने के लिए रोग उत्पन्न करने वाले जीवित रोगाणु या उनसे उत्पन्न होने वाले रोगाणु का सप्रयोजन प्रयोग किया जाता है। ये जीवाणु स्वतः ही कम समय मे अधिकाधिक संख्या मे उत्पन्न होते रहते हैं तथा महामारी का रूप ले लेते हैं।

22.1 **<u>जैव युद्ध का उद्धेश्य</u>** :–

- मनोबल गिराने और आंतक फैलाने के लिए।
- चुने हुए लोगों जैसे औद्योगिक कामगारों आदि को विकलांग बनाने के लिए।
- लोगों पर किए जाने वाले सामान्य आक्रमण के एक भाग के रुप में।
- फसलों और पशुओं पर आक्रमण करके खाद्य पदार्थों की कमी उत्पन्न करने के लिए।

22.2 **<u>नागरिक सुरक्षा मे जैव युद्ध से बचाव</u>:–** किसी भी राष्ट्र मे युद्ध के हमलों को रोकने का कार्य सेना द्वारा किया जाता है फिर भी तोड़फोड़ जैव युद्व की आशंका के बचाव के लिए प्रत्येक नागरिक को सतर्क रहना आवश्यक है। नागरिक सरक्षा द्वारा प्रशासन की सहायता से रोग फैलने के तरीकों एवं उनसे बचाव के तरीकों की जानकारी का कड़ाई से पालन नागरिक सुरक्षा कार्यो के माध्यम से कराई जावेगी। प्रशासन द्वारा चिकित्सा विभाग की

सहायता से पानी खाद्य पदार्थो की जांच का कार्य समय–समय पर किया जाते हुए पुलिस और सेना की सहायता से साथ ही आमजन के सहयोग से पानी और खाद्य पदार्थो का रोगाणुओ से बचाव कराया जावेगा। पानी का जीवाणविक विश्लेषण बचाव में सहायक हो सकता है, साथ ही पानी का समुचित क्लोरीनीकरण भी कराना आवश्यक है।

22.3 जैविक युद्ध से सामान्य बचाव

- रोग का पता शीघ्रता से प्रारंभिक चरण में लगाना।
- आम जन को एक दूसरे के सम्पर्क में आने से रोकना।
- दूषित खाद्य पदार्थ, पानी के नमूनो की जॉच हेतु अतिरिक्त प्रयोगशाला सुविधा उपलब्ध कराना।
- सम्बधित रोग के टीकों की समुचित व्यवस्था करवाना तथा सूचना विभाग द्वारा टीके के प्रति सक्रियता जागृत करना।
- संक्रमणित फसलों व पशुओं को नष्ट करना।
- अस्पताल/प्राइवेट क्लिनिकों में रोगाणुओं को निष्प्रभावित करने हेतु पर्याप्त औषधियों का भण्डारण करवाना
- रोगाणु श्वॉस द्वारा त्वचा के सम्पर्क में आने पर एवं कीटों के काटने से शरीर में प्रवेश करते हैं इस रोगाणु रोधक ''नासा पैड'' प्रयोग में लाना।
- आश्रय स्थलों को समुचित प्रतिरोधक बनाना एवं दूंषित वस्तुओं की सूची बताते हुए उनके प्रयोग पर प्रतिबन्ध की चेतावनी देना।
- चिकित्सा विभाग औषधियों के समुचित वितरण एवं भण्डारण के लिए योजना बना कर कार्यवाही करना।
- नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा जानकारी के अनुसार वार्डन के माध्यम से जैव युद्ध एवं उसके बचाव की जानकारी आमजन तक पहुॅचाने का कार्य करेगा।

22.4 जैव युद्ध से मनुष्य, पशुओं व पौधों तथा फसलों पर रोगाणुओं का प्रभाव

मनुष्य पर रोगाणुओं का प्रयोग	**पशुओ पर रोगाणुओ का प्रयोग**	**पौधों और फसलों पर रोगाणुओं का प्रयोग**
जीवाणु : • वैंसीलस एन्थरेसिस (गिलटी) • साल्मोनेला टाइफॉस (टाइफॉइड) • पास्बुरेला पेस्टिस (प्लेग) • थिब्रियो कॉमा (हैजा)	**जीवाणु** : • वैसीलब एन्थेसिए (गिलटी) • ब्रुसेला ग्रुप ब्रेसेलारूग्णता (ब्रेसेलोसिस) **विषाणु (वाइरस)** :	• हैलमिन्थोस्पोरयम ऑरिजेइ (चावल पर) • पाइरिकुलेरिया ऑरिजेई (चावल पर) • कार्नीलैक्टीयरियम सेपेडॉनिकम (आलू पर)

विषाणु (वाइरस) : • एन्फ्ल्यूएंजा विषाणु (एन्फयूएंजा) • संक्रमी यकृत शोंध का विषाणु (पीलिया) (वाइरस ऑफ इन्फेक्टिव हेपाटाइटिस) • मसूरी का विषाणु (चेचक) (वैरिऑला वाइरस) **रिकेट्रिसया** : रिकेट्रिसयल प्रीवेजकी (महामारीवाला टाइफस) **जीवविष (टॉक्सिन)** : • बॉटुलियन जीवविष (बाटुलिज्म) • स्टेफिलोकॉकस जीवविष (अन्नविषाक्तता)	• मुख पाद रोग विषाणु • पशुप्लेग विषाणु (कैटल प्लेग) (रिंडरपेस्ट वाइरस)	

23. **<u>परमाणु युद्ध (Nuclear Warfare)</u>** – परमाणु बम में यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 की जब न्यटानों से बमबारी की जाती है तो उसमें से ऊष्मान गामा किरणों, एक्स किरणों और कौंध के रुप में दिखाई देने वाले प्रकाश के रुप में बहुत बड़ी मात्रा में परमाणु निकलती हैं। तापमान लगभग दस मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक पंहुच जाता है, जो अपने आसपास की प्रत्येक वस्तु को वास्तव में पिघला देता है और कई मिलियन वायुमंडलीय दाब उत्पन्न करता है। परमाणु बम के विष्फोट से प्रकाश और ऊष्मा विकिरण, विष्फोट एवं तत्काल और विलंबित विकिरण इत्यादि प्रकट होते हैं।

23.1 **<u>ऊष्मा के प्रभाव</u>** – जब कोई न्यूक्लीय अस्त्र अधिस्फोटित होता है तो कुल ऊर्जा का 35 प्रतिशत तेज ऊष्मा और प्रकाश के रुप में निकलता है। यह ऊर्जा आग के गोले के रुप में निकलती है। किसी भी परमाणु बम ऊष्मा की लहर लगभग 1, 1/2 सैकंड तक रहती है पर बड़ी क्षति पहले आधे सैकंड के दौरान होती है। यह कौंध के रुप में होती है और इसकी गति प्रकाश की गति के समान होती है। ऊष्मा की लहर के बने रहने की अवधि अनुमाप विधि के अनुसार बढ़ती है। किसी 10 मेगाटन के बम से निकलने वाली ऊष्मा 20 सैकंड तक रहती है और इसके कारण बड़ी क्षति पहले 10 सैकंड के दौरान होती है।

23.2 **<u>प्रारंभिक और द्वितीयक आग</u>** – घटना स्थल के आसपास कुछ दूरी तक प्रत्येक वस्तु आग द्वारा पूरी तरह नष्ट हो जाती हैं। इससे लगभग 01 मील क्षेत्र में आग लग जाती है, जिसे प्रारम्भिक आग के रुप में जाना जाता है। द्वितीयक आग की स्थिति में इमारतें गिरने, घरेलु आग लगने, गैस के पाइप फटने और बिजली के तार के शॉर्ट सर्किट हो जाने इत्यादि कारणों से आग लग जाती है।

23.3 **<u>परमाणु बम के विष्फोट का प्रभाव</u>** –

- इससे कुल ऊर्जा का 45 प्रतिशत विष्फोट झटके के रुप में होना।
- उक्त झटके दो चरणों में होते हैं – 1.दाब और 2.चूषण।
- इमारत का विष्फोट के झटके सहन करने का सामर्थ्य जिसमें इमारत की मजबूती, आकार और खुले भागों (दरवाजे व खिड़कियां आदि) पर निर्भर करता है।
- The effects of Nuclear explosion can conveniently be divided into followings: -

  (a) Blast effect -45%
  (b) Heat effect -35%
  (c) Radiation effect -20% (5% Initial & 15% Residual Radiation)

Three Friends of Nuclear Warfare	Three Rules for Protection Against External Radiation	Three Rules to Prevent Intake of Radioactive Materials.	Effects on Human Body	Full Turnout Gear.
• Time • Distance • Radiation	• Time - Keep exposure time as short as possible • Distance - Keep as far away as possible from the source • Source - Shield body from source wherever possible	• Use B. A. (Breathing Apparatus) sets • Do not eat, drink & smoke in contaminated area • Withdraw from radiation area if you sustain open wounds	• Radiation sickness • Delayed effects • Long term effects • Genetic effects	• Helmet • B.A. (Breathing Apparatus) set. • Turnout coat. • Gloves. • Turnout paint. • Rubber boots. • Radiation Survey Meters. • Eye shield.

23.4 **<u>मनुष्य के शरीर पर विष्फोट के प्रभाव</u>** – मानव शरीर इमारतों की तुलना में दाब को अधिक शक्ति के साथ सहन कर सकता है, जिससे सीधे विष्फोट के कारण लोगों को अधिक चोट नहीं पंहुचेगी पर विष्फोट के अप्रत्यक्ष प्रभावों के कारण कई लोगों को चोट लगेगी, जैसे

– इमारतें ढ़हना, मलवा गिरना, शीशे के टुकड़ों का उड़ना इत्यादि। इससे लगभग 02 मील के क्षेत्र में प्रभाव होंगे।

23.5 **परमाणु युद्ध –विकिरण प्रभाव** – जमीन पर या जमीन के निकट किसी भी परमाणु अस्त्र के अधिस्फोटित होने पर ऊपर उठने वाला आग का गोला जमीन से बहुत सारी मिटटी और अन्य सामग्री अपने साथ ऊपर ले जाता है। यह समस्त सामग्री रेडियोधर्मी हो जाती है और किसी ऐसे बड़े क्षेत्र में गिरती है जिसके ऊपर छत्रक रुपी बादल चलते रहते हैं। रेडियोधर्मी सामग्री के गिरने से उसके बड़ी मात्रा में फैलने का खतरा उत्पन्न हो जाता है।

23.6 **मनुष्यों पर विकिरणों का प्रभाव** – परमाणु विकिरणें मनुष्य के शरीर की कोशिकाओं को मारकर उसके शरीर को हानि पंहुचाती हैं। मनुष्य के समस्त शरीर पर होने वाले विकिरण के जैविक प्रभाव क्रमशः निम्नलिखित चार दशाओं में स्पष्ट हो जायेंगे :–

- **विकिरण के कारण बीमार पड़ जाना** – इसमें थकावट, मतली, अपाचन, भूख न लगना आदि इसके प्रारम्भिक लक्षण होते हैं जो उल्टी, अतिसार (दस्त की बीमारी) का रुप ले सकती है।
- **विलंबित प्रभाव** – त्वचा के नीचे रक्तस्राव होने के कारण रक्त के दाग उभर आने से शरीर से बालों का झड़ना जैसे विलंबित प्रभाव लगभग चार सप्ताह तक होते हैं।
- **दीर्घकालिक हानियां** – अरक्तता (अनीमिया), रक्त कैंसर, अस्थि या ऊतक विकिरण कैंसर और टयूमर इत्यादि जो सामान्यतः विकिरण होने के कई वर्ष बाद होती है। इसमें मनुष्य आयु से पहले वृद्ध हो सकता है।
- **आनुवांशिक हानि** –यदि जननें–द्रिया और जनन कोशिकाएं जो आने वाली पीढ़ियों की वंशागत विशेषता को आगे बढ़ाती हैं, विकिरण से प्रभावित होती हैं व आनुवंशिक हानि होती है।

23.7 परमाणु बम के विष्फोट के कारण विकिरण से उत्पन्न होने वाले खतरे

- **प्रारम्भिक विकिरण** –ये विष्फोट के केन्द्र से गामा किरणों के रुप में बाहर निकलती हैं व भेदक होती हैं :–

खाली जमीन (ग्राउण्ड जीरो से दूरी)	कुल मात्रा	मानव शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव
1/2 मील पर	5000 आर	यह स्थिति निश्चित रुप से विघातक होती है।
3/4 मील पर	500 आर	50 प्रतिशत घातक।
1 मील पर	100 आर	1 प्रतिशत लोगों का बीमार पड़ना।
1–1/2 मील पर	5 आर	कोई प्रभाव नहीं

- **अवशिष्ट विकिरण** – उसका अवपात (फाल आउट) – परमाणु बम के हवा में विष्फोट होने के बजाय यदि वह भूमि तल के निकट विष्फोटित होता है तो रेडियोधर्मी कण मिटटी आदि के बड़े और भारी कणों को संदूषित कर देते हैं और ये तेजी से जमीन पर जमा हो जाते हैं। इससे उस क्षेत्र में विकिरण का खतरा उत्पन्न हो जाता है। इसमें शरीर या कपड़ों के संपर्क में आने से त्वचा जल सकती है। सांस लेने या अंतग्रहण द्वारा शरीर में प्रवेश करने पर घातक विष का कार्य करती है, जिससे तेज विकिरण रोग, आनुवंशिक रोग या मृत्यु हो जायेगी। जमीन पर जमा रेडियोधर्मी कण खुले खाद्य पदार्थों, पानी और फसलों को संदूषित कर सकते हैं।

23.8 रेडियोधर्मी सामग्रियों के गिरने से रोकने के लिए संरक्षण –

- **समय** – रेडियोधर्मिता तेजी से क्षीण हो जाती है। यह लगभग 2 दिन के अंदर इसके मान का 1/100 भाग हो जाती है।
- **दूरी** – किसी भी एक समान संदूषित क्षेत्र से कुल मात्रा का 1/3 भाग 12–1/2 फुट के घेरे से प्राप्त होता है, कुल मात्रा का आधा भाग 25 फुट के घेरे से प्राप्त होता है और कुल मात्रा का 3/4 भाग 100 फुट के घेरे से प्राप्त होता है। यदि इन घेरों के भीतर दीवारें, रुकावटें या अन्य हो तो यह मात्रा कम हो जाएगी, इसलिए भीतर रहना सुरक्षा की दृष्टि से ठीक होगा।
- **आड़ बनाना** – रेडियोधर्मिता की मात्रा कम करने के लिए विभिन्न सामग्रियों द्वारा की गई स्क्रीनिंग की व्यवस्था उन सामग्रियों के घनत्व के आधार पर की जाती है। 2.2 इंच कंकरीट इस मात्रा को आधा कम कर देती है

23.9 Suggested Role of District Magistrates of the Districts.

During Peace Conditions	• Assess the effects that could take place during an attack. • Prepare teams to work during disasters. • Educate the public • Evaluate resources available • Demand for extra resources from the Govt • Train the teams of officers/men from within the District for Disaster Management • Liaise with the neighboring Districts/States • Prepare the Evacuation Plans • Carryout periodical rehearsals of the Disaster Plans
During an Attack	• Proper Warning System • Taking of Shelter • Arrangement of First Aid to the victims

	• Control Rumors & give positive information • To arrange proper NBC kit to the teams to work in NBC affected area
After the Attack	• After the blast wave had passed, there would be ample time before the start of fallout (about half an hour in the case of a large bomb). Instruct people to get into a prepared refuge against the fallout • After the blast wave had passed people should quickly inspect all rooms in the house or building, including spaces under the roof for proper sealing • Advise people to extinguish fires after the blast wave • Nagar Nigam Jaipur and Nagar Parisad/Nagar Palika of towns are responsible for disposal of dead bodies with the help of local people • Arrange for urgent repairs or weatherproofing which could be completed within half an hour. Curtains or sheets should be tacked over broken windows to keep gross amounts of fall out from being blown into the rooms. There would be no cause to worry about small amounts of fall out getting into damaged parts of the house provided it was not allowed to get into food or water consumed in the refuge room. If dust was visible later in any room it should be swept and dumped outside • Except possibly in the area damaged by a nuclear explosion, a fall out warning would be given, to indicate that fall out was imminent. After the blast wave had passed and until the imminent warning was received all necessary help and first aid should be given to neigh burs.
Work of Radiological Unit and Decontamination unit	• Remove all outer clothing and place it in a room or cupboard separate from your refuge room. It would be useful to have bags of polythene or similar material into which contaminated articles could be placed since the bags could be handled later with a much smaller risk or spreading the contamination. In removing the outer clothing care should be taken not to shake it, as this would disperse radioactive dust unnecessarily into the atmosphere. • The hands, head and neck should then be thoroughly washed and scrubbed with soap and warm water while handing over a hand basin. This washing should be repeated at least once, taking care to brush water the nails thoroughly • Removal of dust from the clothing by means of an efficient household vacuum cleaner • Seeking & stirring the clothing in a solution of household detergent either 5 minutes in a washing machine or 5 minutes vigorous stirring (with a suitable stick) in a bath bucket followed by thorough rinsing in clean water
Metrological Deptt	• One should remain in the refuge for the first 2 days after the explosion or until you had been told that your district was free from radioactive fallout. If you did not receive any instructions you should stay in your refuge as long as possible (i.e. you should not remain any longer than was necessary in other parts of your house. Above all you should not go out of doors

	until you receive further instructions. A small transistor would be handy and useful • If you do not receive instructions before the end of the third day, it might be because you were in an area of high dose rate. If so, it would be all the more necessary for you and your family to remain in your refuge room, to spend as little time as possible in other parts of the house and to avoid outdoor exposure until you had been told what you might safely do • If the dose rate in your area were above certain intensity you would be told exactly when and where you would be collected. You would have to be ready at the exact time and place; otherwise, you might imperil not only your own life but also the lives of those who were accepting heavy risks carefully calculated in time, in trying to remove you and your family and neighbors

a. EVACUATION AGAINST A NUCLEAR ATTACK

The present day potential of nuclear weapons warrants the use of all possible means of protection against a nuclear attack. Education of the population, achieving the best possible protection factor in shelters, early warning system and evacuation of the population from target areas forms the mainstay of the protection. Traffic problems and mode of conveyance poses the toughest problem. To assess the same the following must be assessed: -

(a) An estimate of the number of individuals who could be moved to practicable locations under variable conditions.
(b) Techniques and measures of control, supervision, and management needed to affect the movement of the population;
(c) Specific recommendations for improving the facilities available, for the purpose of accelerating the evacuation; and
(d) A suggested procedure and standards for use as a prototype in the conduct of comparable studies in other communities.

b. BASIC REQUIREMENTS AND ASSUMPTIONS

1. **Map Study**. A detailed map, study of the city and area is the logical starting point for staff consideration of evacuation problems. Features of topography that will hinder traffic will be identified, as well as natural barriers that limit direction. Highways routes should be shown in some detail and tentatively rated for adaptability to evacuation. Nearby cities, which are potential targets, should be related to the area. All staff members should be familiar with the study.

2. **Definition of Evacuation Area**. The size of the area to be evacuated in and around an urban target area is dependent upon the size and importance of the target. An evacuation movement study must be predicted on a realistic estimate of probable

damage. Therefore an evacuation area would be a target area and the reception area necessary to support its evacuees.

3. **Vulnerable Urban District**. A vulnerable urban district exists under either of the following conditions of industrialization or population: -

   (a) **Industrialization.** The area enclosed by a line drawn through centers of contiguous 4-mile diameter circles, in each of which there are enough industrial plants (having a total of 100 or more workers on all shifts) to total combined employment of 16,000 workers.
   (b) **Population.** The area enclosed by a line drawn through centers of contiguous 4-mile diameter circles, in each of which there is a resident or daytime population of 200000 persons.

Within the 10-mile buffer zone outside of and surrounding the vulnerable urban district protective construction is a requirement for new hospitals.

4. **Reception Area**. The areas to which people must be moved must lie beyond the outer limits of the evacuation zone. Planning of reception areas is beyond the scope of a traffic movement study and, as has been pointed out earlier, may probably be best done by city and State Civil Defence agencies concerned with health and welfare. The traffic movement plan should, however, take into account some of the requirements of reception areas. For example, evacuation routes should be checked and designated far enough into the safe area to insure connection with an adequate highway system. This facilitates radial or lateral secondary movement of evacuation traffic. The movement study should also include data on places and volume of discharge into the overall reception area, on which detailed support planning may be based.

5. **Psychological Assumptions.** The question of how people will behave during evacuation has been the subject of much speculation. Questions frequently raised are: Will all the people be willing to leave the city? Will people leave if they are separated from the families? Will the behavior of drivers be rational? The committee on Disaster Studies of the National Research Council of the USA is studying disaster behavior. It is assumed then, that if a plan for evacuation traffic is adopted and thoroughly publicized, people generally will follow the plan. There is little basis yet, however, for the conclusion that emergency conditions will result in a general increase in normal abilities and skills.

6. **Effectiveness.** At an early stage in evacuating planning the need is evident for a means of measuring the effectiveness of the plan developed. Such a basis for appraisal furnishes an index of effectiveness. The basic quantities to be checked by use of the effectiveness index are time, distance, and people. The distribution of people under normal circumstances, movement distances required to reach safety, land rate of movement can thus be determined. Since warning time is unknown, the entire range is

time from zero (in case of complete surprise in attack) to that required for persons to reach safe areas should be plotted. Several factors influence making an index. One is the availability of information necessary to carry out computation or estimation of the factors. Another is the index used in other evacuation studies; the effectiveness of several cities, evacuation plan is more easily compared if they have common indices. Individual civil defence functions such as rescue, medical, engineering and welfare might find special information in these indices useful in planning details of operation. Some indices of effectiveness are listed below: -

(a) Total number (or percent) of survivors expressed as a function of warning time (i.e. time from warning until explosion).
(b) Number of persons reaching the safe area expressed as a function of warning time.
(c) Number of persons in each damage zone expressed as a function of warning time.
(d) Number of uninjured survivors expressed as a function of warning time.
(e) Number of uninjured survivors who will be in the safe area at some arbitrarily selected time (say two hours) after the explosion.

7. **Preconditioning.** It is assumed that the Civil Defence warning system is or will be effective, that all responsible persons within the evacuation area are familiar with the warning system, and that people know what they should do under the evacuation plan at any given time. This implies the existence of a simple, well-publicized plan with operating guidelines such as route markers and necessary control points adequately manned.

8. **Delay Time**. It is assumed that some period, probably less than a half hour elapses between the warning signal and the time evacuation movement reaches full effectiveness. During this period people will stop their normal activities, leave their homes or places of employment, and proceed to their designated transportation.

9. **Direction of movement**. The Administrative Authorities at district level will be held responsible to give direction for movement during evacuation as per the wind directions/weather report received from the Metrological Department.

10. **Traffic Drainage Areas**. It is assumed that for each one-way evacuation route passing from the city into the reception zone there is a corresponding drainage-area, or sector of the city whose traffic is tributary to that route. The area should be so selected that its generated traffic is within the capacity of the route. Stated another way, drainage areas should be designated so that all routes will be equally overloaded. This will result in the most efficient use of the route system. Neither evacuation routes nor boundaries between drainage areas should be crossed, except by authorized emergency vehicles. This does not preclude movement of vehicles by other than primary routes (i.e. streets other than the final exit from the evacuation area) from the A and B zones to C and D zones or beyond, thus moving a large

percentage of the total population to areas of less hazard from the primary weapons effects.

11. **Route Capacity.** It is assumed that the route capacity, under ideal conditions is 1,000 vehicles per lane per hour that the probable capacity under average conditions is 800 vehicles per lane per hour and that such capacity will be reduced to 500 vehicles per lane per hour under emergency conditions. For different routes capacity may vary widely, depending on different roadway and traffic conditions. Capacity is the product of traffic density and speed of movement. Possible capacity is expressed as the maximum number of vehicles that can pass a given point on a lane or roadway during 1 hour under the prevailing roadway or traffic conditions. There is substantial evidence that the largest number of vehicles that can pass a point one behind the other in a single traffic lane, under ideal conditions, is between 2,000 and 2,200 passenger cars. Sustained hourly volumes in this range have rarely been observed, although the traffic demand has been sufficient to exceed them on many occasions. This ideal capacity can be approached only under the following conditions: -

    (a) That there are at least 2 lanes for the exclusive use of vehicles traveling in 1 direction.
    (b) That all vehicles travel 30 to 40 miles per hour.
    (c) That there is adequate width of traffic lanes, shoulders, and clearance of vertical obstructions.
    (d) That there are no restrictive sight distances, grades, improperly super elevated curves, inter-sections, or interference by pedestrians.

12. **Conditions.** The evacuation traffic movement plan should be able to function effectively at any time it might be put into operation. To assure this, it must be designed to cover a range of conditions, including those prevailing when the warning would probably be received. Examination of the plan in light of several variable conditions may reveal the need for special provisions or even complete changes in the plan.

13. **Time.** Because of movement of people to and from areas by night and day, both distributions of people and vehicles should be examined. Areas of the city, which are deficient in transportation during either of these times, should be given supplemental arrangements under the plan.

14. **Strategic Evacuation**. Individuals might undertake this type of evacuation voluntarily on a limited scale recommended by local governments in case of threat of attack.

15. **Route Improvements.** Improving highway routes can accelerate evacuation of an area. Varying stages of improvement can be expected. A quantitative appraisal of their

extent and effectiveness will indicate the degree of acceleration of evacuation they add to the plan.

16. **Wind Directions**. The Metrological Department will be held responsible for intimating about wind directions regularly to the Administrative Authority and Shelter Manager.

भाग – VI

25. जिले में हवाई हमले/आपदा की दृष्टि से खतरे वाले महत्वपूर्ण क्षेत्र/महत्वपूर्ण स्थान (VAs/VPs) की सूची :–

SUGGESTED ALLOTMENT OF GBADWS FOR NATIONAL (STRATEGIC) AND OTHER CIVIL VA / VPs

Name of the State : Rajasthan

	Sr. No.	Name of VA / VP	Numbers of VPs/VA	Assessed Priority (Mark A-B-C)
2	Air Force Establishments, Air Forece Airfields, Store Depots, Magazines etc.			
	1	Air Force Station, Uttarlai	1	A
	2	Ammuniation Depot in Army Cantt, Jasai	1	A
	3	Army Cantt, Jalipa	1	A
3	Public undertakings under the Ministry of Defence			
	1	BSF Sector HQ Barmer	1	A
5	Communication Nodes Postal / Telegraph / Telephones Key points			
	1	BSNL Exchange, Barmer	1	B
	2	Head Post Office, Barmer	1	B
6	T.V. Radio and Radar Stations:			
	(i) Naval Stations (ii) Air Force Stations (iii) Postal, Railway and Police Wireless Stations (iv) Aeronautical Communications Stations. (v) All India Radio Receiving Centres, Transmitting Centers, TV Stations and Studios (vi) Cable uts and Stations for Overseas Communication			
	1	Army Exchange, Wireless , Chohtan	1	A
	2	All India Raido Station, Barmer	1	B
	3	Aakashwani Reley Centre, Jalipa	1	B
	4	Wireless Repiter Station, Police, Barmer / Chohtan	2	B
	5	High Power Transmitting Centre, Chohtan	1	B
7	Bridges, Railways, Roads, Harbours, Shipyards and other Water Transport/Rope-way Key Points			
	1	Munabab International Railway Station	1	A
	2	Gandhav Bridge	1	B
	3	Railway Station, Barmer	1	B
	4	Railway Station, Ramsar, Gagriya, Gadraroad, Jaisindhar Station & Uttarlai	5	B
	5	Roadways Bus Stand, Barmer	1	B
	6	Railway Bridge, Tilwara	1	B
8	Petroleum & Natural Gas- All exploration, production, refining & storage facility and oil/gas pipelines.			
	1	Mangla Oil Field , Nagana	1	A
	2	Rageshwari Oil Field, Nagar (Gudamalani)	1	A
	3	Nagana Terminal Centre, Nagana	1	A
	4	Pachpdra Refinary	1	A
9	Mines and Gas Works			
	1	Lignite Project, Giral	1	A
10	Electric Power Station/ Grid Sub-Stations and related key points			
	1	Thermal Power Plant, Thumbli	1	A
	2	Rajwest Power Plant, Bhadresh	1	A
	3	132 KV Power Supply Centre, Barmer	1	B
11	Water Supply /Sewage Key points			

	1	Water source, Bhadkha	1	B
	2	PHED Office, Barmer	1	B
15	Food & oil Storage Depots			
	1	Food Corportation, Barmer	1	B
	2	Pursottam Das Jagdish Chandra Petrol Pump, Barmer	1	B
	3	Madan & Co. Petrol Pump, Balotra	1	B
21	Important Government buildings other than those enumerated aove			
	1	Government Hospital, Barmer / Balotra	2	B
	2	Collectorate, Barmer	1	B
22	Miscellaneous key points			
	1	Jain Temple, Nakora	1	C
	2	Rani Bhatiyani Temple, Jasol	1	C
	3	Viratra Mata Temple, Dhok	1	C
	4	Nagnechiya Temple, Nagana (Kalyanpur)	1	C

26. नागरिक सुरक्षा जिलों में उपलब्ध नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की सूची

27. जिले में नागरिक सुरक्षा उपलब्ध बचाव उपकरणों व अन्य संसाधनों की सूची

क्र.सं.	उपकरण का नाम	मात्रा
1	वायरलैस सैट (एच.एफ कम्पलीट)	1
2	वायरलैस सैट (वी.एच.एफ सैट)	3
3	विद्युत सायरन लोहा	6
4	हस्तचालित सायरन लोहा	2
5	फायर एक्सटिग्युसर	13
6	स्ट्रीप पम्प मय पाईप रबर	40
7	फायर बाल्टी लोहा	10
8	वाटर बोटल लोहा	101
9	हैल्मेट फायबर ग्लास	50
10	कम्बल लाल गर्म	13
11	फस्टेड बॉक्स छोटा लोहा	3
12	फस्टेड बाक्स बडा लोहा	4
13	फस्टेड पोच कपड़ा	20

14	एल्यूमिनियम सीढ़िया	4
15	सबल लोहा	4
16	सिंगल सिव पूली लोहा	6
17	हेल्मेट नोन मेटल	35
18	मैनहारनेस रोप	1
19	लाईफ जैकेट	12
20	Digital camera cannon	1
21	Video camera sony	1
22	Repelling Rope 8 mm x200**	4
23	Climbing rope 10 mm x100**	1
24	Tape measuring	1
25	Boot toe steel shank	10 Pr
26	Ear plug	40
27	Safety Goggles	10
28	Knee pads	10
29	Scene tape (700 mtr)	1
30	Hydraulic jack 5 Ton	5
31	Electric drill machine Bosch with set of bite	2
32	PA Egpt (class) BOSCH set	1
33	PA Egpt (open air) BOSCH set	1
34	Telescope Leader	1
35	Full body harness	4
36	Working Lamp	2
37	Face shield	6
38	Nose Mask	20
39	BA set with two cylinder	1
40	Pneumatic lifting bag	1
41	Hand Gloves hosiery	6 Pair
42	Electric Drill Machine Bosch	2
43	Fire entire suit	2
44	Rotary hammer drill machine with bitts (Bosch)	2
45	Reciprocating SAW machine with wood & medal blade Bosch	2
46	Breathing Air Apparatus With spare cylinder	1
47	लाईफ बाय	7
48	बीओबी रोप 12 एम एम 60 मीटर लम्बा	3
49	बीओबी रोप 14 एम एम 60 मीटर लम्बा	1

50	गम बूट जोड़ा	12
51	हेलमेट	18
52	स्ट्रेचर फोल्डिग ''डी'' टाईप	2
53	स्ट्रेचर स्पाईन बोर्ड फाइबर	2
54	दस्ताने	4
55	मास्क	2
56	हैण्ड टूल सैट	1
57	ड्रेग्न लाईट	7
58	मेगा फोन	5

***

27. जिले में नागरिक सुरक्षा उपलब्ध बचाव उपकरणों व अन्य संसाधनों की सूची

क्र.सं.	उपकरण का नाम (पुराना सामान)	मात्रा
1	वायरलैस सैट (एच.एफ कम्पलीट)	1
2	वायरलैस सैट (वी.एच.एफ सैट)	3
3	विद्युत सायरन लोहा	6
4	हस्तचालित सायरन लोहा	2
5	फायर एक्सटिग्युसर	10
6	स्ट्रीप पम्प मय पाईप रबर	10
7	फायर बाल्टी लोहा	7
8	वाटर बोटल फायबर	101
9	हैल्मेट फायबर ग्लास	50
10	कम्बल लाल गर्म	7
11	फस्टेड बॉक्स छोटा लोहा	3
12	फस्टेड बाक्स बडा लोहा	1
13	फस्टेड पोच कपड़ा	20
14	एल्यूमिनियम सीढ़िया	4
15	सबल लोहा	1
16	सिंगल सिव पूली लोहा	6
17	हेल्मेट नोन मेटल	15
18	मैनहारनेस रोप	1
19	लाईफ जैकेट	7
20	Digital camera cannon	1
21	Video camera sony	1
22	Repelling Rope 8 mm x200**	4
23	Climbing rope 10 mm x100**	1
24	Tape measuring	1
25	Boot toe steel shank	0 Pr
26	Ear plug	40
27	Safety Goggles	10
28	Knee pads	10
29	Scene tape (700 mtr)	1
30	Hydraulic jack 5 Ton	5
31	Electric drill machine Bosch with set of bite	2
32	PA Egpt (class) BOSCH set	1
33	PA Egpt (open air) BOSCH set	1

34	Telescope Leader	1
35	Full body harness	4
36	Working Lamp	2
37	Face shield	6
38	Nose Mask	20
39	BA set with two cylinder	1
40	Pneumatic lifting bag	1
41	Hand Gloves hosiery	6 Pair
42	Electric Drill Machine Bosch	2
43	Fire entire suit	2
44	Rotary hammer drill machine with bitts (Bosch)	2
45	Reciprocating SAW machine with wood & medal blade Bosch	2
46	Breathing Air Apparatus With spare cylinder	1
47	लाईफ बाय	7
48	बीओबी रोप 12 एम एम 60 मीटर लम्बा	3
49	बीओबी रोप 14 एम एम 60 मीटर लम्बा	1
50	गम बूट जोड़ा	12
51	हेलमेट	18
52	स्ट्रेचर फोल्डिग ''डी'' टाईप	2
53	स्ट्रेचर स्पाईन बोर्ड फाइबर	2
54	दस्ताने	4
55	मास्क	2
56	हैण्ड टूल सैट	1
57	ड्रेग्न लाईट	7
58	मेगा फोन	5

क्र.सं.	उपकरण का नाम (नवीन सामान)	मात्रा
1	Wireless set(very high frequency)	10
2	Fire extinguisher, 2.5 kg CO2, ISI mark with hydrotest	05
3	Fire extinguisher, 5 kg DCP, ISI mark with hydrotest	05
4	Helmet Fibre glass	100
5	Aluminium Stairs 35 feet with wheel extending type heavy duty	5
6	Gum boot	50
7	Ear plug	20
8	Saferty goggles	80
9	B.A set 30 mint with steel cylinder	4
10	Public Address system 25 watt.	30
11	Reflector jackets	100
12	Roppes per kg	05
13	Fire suits	20
14	Dragon Torch	30
15	Normal Torch	20
16	Stretcher	20
17	Belcha	50
18	Fawda	50
19	Tagari	50

***